रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032024-253099 CG-DL-E-16032024-253099

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 200]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 2024/फाल्गुन 25, 1945

No. 200] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2024/PHALGUNA 25, 1945

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च 2024

सा.का.नि. 214(अ).—केंद्र सरकार चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 का अधिक्रमण करते हुए, एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 2024 होगा;
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे;

2. परिभाषाएँ:- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

- (i) अधिनियम से चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) अभिप्रेत है;
- (ii) सलाहकार पैनल से नियम 7 के अधीन गठित बोर्ड का सलाहकार पैनल अभिप्रेत है;
- (iii) "आवेदक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 4 के अधीन किसी फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणन के लिए आवेदन करता है;
- (iv) ''सहायक क्षेत्रीय अधिकारी'' से नियम 9 के अधीन नियुक्त सहायक क्षेत्रीय अधिकारी अभिप्रेत है और इसमें अध्यक्ष का सचिव भी शामिल है:

2029 GI/2024 (1)

- (v) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित फिल्म प्रमाणन बोर्ड अभिप्रेत है;
- (vi) "अध्यक्ष" से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
- (vii) "मुख्य कार्यकारी अधिकारी" से नियम 9 के अधीन नियुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है:
- (viii) "जांच अधिकारी" से मुख्य कार्यकारी अधिकारी या क्षेत्रीय अधिकारी या अपर क्षेत्रीय अधिकारी या सहायक क्षेत्रीय अधिकारी या अध्यक्ष का सचिव या ऐसा अन्य अधिकारी अभिप्रेत है जो फिल्मों की जांच के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए;
- (ix) "फ़ीचर फ़िल्म" से काल्पनिक कहानी वाली लांग फ़िल्में अभिप्रेत हैं;
- (x) "विदेशी फ़िल्में" से भारत के बाहर निर्मित फ़िल्में अभिप्रेत हैं;
- (xi) "लांग फिल्म" 72 मिनट या उससे अधिक चलने वाली फिल्म है, जिसमें फिल्म का क्रेडिट और शीर्षक समय भी शामिल है:
- (xii) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है और इसको अध्यक्ष भी शामिल है;
- (xiii) "क्षेत्रीय अधिकारी" से नियम 9 के अधीन नियुक्त क्षेत्रीय अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अपर क्षेत्रीय अधिकारी और सहायक क्षेत्रीय अधिकारी या उस नियम के अधीन नियुक्त कोई अन्य ऐसा अधिकारी भी शामिल है:
- (xiv) "धारा" से अधिनयम की धारा अभिप्रेत है;
- (xv) "शॉर्ट फिल्म" से 72 मिनट से कम चलने वाली फिल्म अभिप्रेत है;
- (xvi) "यूए प्रमाणपत्र" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 2 के खंड (i) के तहत यथा परिभाषित उपयुक्त 'यूए मार्कर' के साथ 'यूए' प्रमाणपत्र से है; और

3. पदावधि -

- (1) बोर्ड का सदस्य केन्द्रीय सरकार की इच्छानुसार पद धारण करेगा।
- (2) उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन, अध्यक्ष तीन वर्ष की अविध के लिए पद धारण करेगा और तब तक पद धारण किए रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं कर दिया जाता है;

परंतु यह कि उसके उत्तरवर्ती की नियुक्ति के लंबित रहने तक केंद्रीय सरकार एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी।

(3) उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक अन्य सदस्य तीन वर्ष से अनिधक की अविध के लिए पद धारण करेगा।

बशर्ते कि सदस्यों का कार्यकाल तब तक जारी रहेगा जब तक कि उनके स्थान पर नए सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो जाती; बशर्ते कि सदस्यों का कार्यकाल उनकी नियुक्ति के अनुक्रम में समाप्त कर दिया जाएगा।

(4) सेवानिवृत्त होनेवाला कोई सदस्य या ऐसा सदस्य जिसकी पदावधि समय बीत जाने के कारण समाप्त हो गई, पुनर्नियुक्त का पात्र होगा।

4. "बोर्ड में महिलाओं का प्रतिनिधित्व -

केन्द्रीय सरकार, बोर्ड में महिला सदस्यों की नियुक्ति के लिए ऐसे कदम उठा सकेगी, जो वह ठीक समझें, ताकि बोर्ड में एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी और अधिमानत: आधे सदस्य महिलाएं होंगी"।

5. आकस्मिक रिक्ति -

किसी सदस्य के पदत्याग, मृत्यु, या हटाए जाने के कारण या अन्यथा बोर्ड में हुई आकस्मिक रिक्ति ऐसे अन्य सदस्य की नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी जो नियम 3 के उप-नियम (3) के अधीन प्रावधित सदस्यता की पूरी अवधि के लिए पद धारण करेगा।

6. मुख्यालय -

जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, बोर्ड का मुख्यालय मुंबई में होगा।

7. अध्यक्ष की अस्थायी अनुपस्थिति –

इस नियमों में किसी बात के होते हुए भी, जब अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तब,केन्द्रीय सरकार बोर्ड के किसी सदस्य को नामनिर्दिष्ट कर सकेगी जो अध्यक्ष के कर्तव्यों का तब तक निर्वहन करेगा जब तक कि अध्यक्ष अपना कार्यभार पुनः ग्रहण नहीं कर लेता।

8. सलाहकार पैनलों का गठन

- (1) केन्द्रीय सरकार बोर्ड के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक सलाहकार पैनल गठित करेगी।
- (2) उपनियम (1) के अधीन गठित सलाहकार पैनल में उतने सदस्य होंगे जितने केन्द्रीय सरकार, बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् अवधारित करे।
- (3) केन्द्रीय सरकार, बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, किसी व्यक्ति को, जिसे वह ठीक

समझती है, सलाहकार पैनल का सदस्य नियुक्त कर सकेगी;

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार, सलाहकार पैनल के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अनधिक उतने सदस्यों की बाबत, जितने वह सरकार ठीक समझती है, ऐसे परामर्श से अभिमुक्ति दे सकेगी;

परन्तु यह और कि सलाहकार पैनल के कम से कम एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी और अधिमानत: आधे सदस्य महिलाएं होंगी।

9. सलाहकार पैनलों के सदस्यों की पदावधि -

- (1) एक सलाहकार पैनल का सदस्य केन्द्रीय सरकार की इच्छानुसार पद धारण करेगा।
- (2) उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक ऐसा सदस्य दो वर्ष से अनिधक की अविध के लिए पद धारण करेगा।
- (3) सेवा निवृत्त होने वाला सदस्य या ऐसा सदस्य जिसकी पदावधि समय बीत जाने के कारण समाप्त हो गई है, पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।
- (4) केन्द्रीय सरकार सलाहकार पैनल के किसी भी सदस्य को, उसकी पदावधि समाप्त होने के पूर्व, पद से हटा सकेगी :

10. बोर्ड के अधिकारी -

(1) केन्द्रीय सरकार, अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में बोर्ड को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए बोर्ड के मुख्यालय में और प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयों में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, अपर क्षेत्रीय अधिकारी, सहायक क्षेत्रीय अधिकारी और अन्य ऐसे अधिकारी नियुक्त कर सकेगी:

परंतु यह कि केन्द्रीय सरकार, इस उपनियम के अधीन अपने को प्रदत्त नियुक्ति की शक्ति, जो क्षेत्रीय अधिकारी और अपर क्षेत्रीय अधिकारी के पदों के संबंध में नियुक्ति की शक्ति से भिन्न है, अपने द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगी:

परंतु यह और कि अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस उपनियम के अधीन अपने को प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत अपने द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी की छुट्टी मंजूर कर सकेगा या उसे सेवा से निलंबित कर सकेगा या सेवा से हटा सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन नियुक्त क्षेत्रीय अधिकारी, अपर क्षेत्रीय अधिकारी, सहायक क्षेत्रीय अधिकारी और अन्य अधिकारी ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो उन्हें इन नियमों के अधीन या अध्यक्ष/मुख्य कार्यकारी अधिकारी या बोर्ड द्वारा समनुदेशित किए जाए।

11. बोर्ड के कर्तव्य –

बोर्ड इन नियमों के अधीन विहित अन्य कर्तव्यों के अतिरिक्तः-

- (1) केन्द्रीय सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगा जिसमें पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा किए गए कार्य का पुनर्विलोकन होगा और रिपोर्ट में फिल्म उद्योग के रूखों पर विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन होगा;
- (2) वह रीति विहित करेगा जिसमें बोर्ड के रजिस्टर, अभिलेख और लेखे रखे जाएंगे; और
- (3) क्षेत्रीय अधिकारियों और सलाहकार पैनलों के सदस्यों के कार्य का पुनर्विलोकन करेगा।

12. फिल्मों के प्रति लोक प्रतिक्रियाओं का निर्धारण:—

फिल्मों का प्रमाणन करने में पालन किए जाने वाले सिद्धांतों का अवधारण करने की दृष्टि से, बोर्ड ऐसे कदम उठा सकेगा जिन्हें वह फिल्मों के प्रति लोक प्रतिक्रियाओं का निर्धारण करने के लिए ठीक समझे और इस प्रयोजन के लिए फिल्म आलोचकों, फिल्म लेखकों, समुदाय नेताओं और फिल्म उद्योग से जुड़े हुए व्यक्तियों या ऐसे अन्य व्यक्तियों में परिसंवादों या संगोष्ठियों का आयोजन करेगा तथा लोगों के मस्तिष्क पर विभिन्न प्रकार की फिल्मों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए स्थानीय या राष्ट्रीय सर्वेक्षण भी करेगा।

13. बोर्ड के अध्यक्ष की सेवा के (वेतन और भत्तों से भिन्न) निबंधन और शर्तो तथा बोर्ड के अन्य सदस्यों की संदेय भत्ते —

(1) अध्यक्ष, यदि वह पूर्णकालिक वेतन दिया जाने वाला अधिकारी है तो, ऐसे यात्रा और दैनिक भत्ते लेने का हकदार होगा जो मूल और अनुपूरक नियम, 1992 के अधीन अनुज्ञेय है और वह छुट्टी और छुट्टी वेतन तथा ऐसे अन्य फायदों का भी हकदार होगा और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा शासित होगा जो संविदा पर नियोजित केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों पर लागू हैं:-

परंतु अखिल भारतीय या केन्द्रीय सिविल या साधारण केन्द्रीय सेवा या राज्य सेवा के किसी अधिकारी की अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की दशा में, वह जब तक उस सेवा में बना रहता है तब तक ऐसी सेवा के अधिकारियों की अनुज्ञेय छुट्टी और छुट्टी वेतन तथा अन्य फायदों का हकदार होगा।

परंतु यह और कि यदि कोई अधिकारी, जो पहले से ही सरकार के अधीन संविदा पर, अभिदायी भविष्य निधि के फायदों सिहत, पद धारण कर रहा है, अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है तो उसे इस बात की अनुज्ञा होगी कि वह पूर्वतन सेवा के दौरान उसके द्वारा उपार्जित छुट्टी का अनुप्रयुक्त भाग अग्रणीत कर ले और वह अभिदायी भविष्य निधि के फायदों का पात्र भी बना रहेगा।

- (2) प्रत्येक अवैतनिक सदस्य (अध्यक्ष सहित जो वेतन प्राप्त नहीं करता है)-
- (क) किसी फिल्म के पूर्वावलोकन या पुनरीक्षण समिति या बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए ऐसे पूर्वावलोकन या बैठक के प्रत्येक दिन के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर पर भत्ता प्राप्त कर पाएगा;
- (ख) यदि वे एक आउट-स्टेशन सदस्य हैं, तो ऐसे सदस्यों के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उनके द्वारा की जाने वाली यात्राओं के संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुज्ञेय हो, वह वायुयान या रेल द्वारा यात्रा कर सकेगा;

14. सलाहकार पैनल के सदस्यों को देय भत्ते.-

- (1) सलाहकार पैनल का प्रत्येक सदस्य मुख्यालय के बाहर बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए या अध्यक्ष की पूर्व अनुमित के साथ अधिनियम के तहत निर्धारित किसी अन्य कर्तव्यों के निर्वहन के उद्देश्य से की गई यात्राओं के लिए यात्रा और दैनिक भक्ते केंद्र सरकार के प्रथम श्रेणी अधिकारियों के लिए लागू मूल और अनुपूरक नियम, 1922 के तहत प्रदान किए गए वेतनमान के अनुसार प्राप्त करने का हकदार होगा।
- (2) सलाहकार पैनल का प्रत्येक सदस्य फिल्म के पूर्वावलोकन या समिति या पैनल की बैठक में भाग लेने या काट-छांट और प्रभावित सामग्री के सत्यापन के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दर पर परामर्श शुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा; बशर्ते कि उपरोक्त उप-नियम (1) के संदर्भ में दैनिक भत्ते का भुगतान इस उप-नियम के तहत परामर्श शुल्क के भुगतान के अतिरिक्त अनुज्ञेय नहीं होगा।
- (3) उप-नियम (1) और (2) में निहित किसी भी बात के बावजूद, यदि सलाहकार पैनल का कोई भी सदस्य संसद सदस्य है, तो वे धारा 2 के खंड (ए) में परिभाषित भत्तों के अलावा किसी भी पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे। संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10)।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि सलाहकार पैनल का कोई सदस्य संसद सदस्य है तो वह ऐसे किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा जो संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खंड (क) में परिनिश्चत भत्तों से भिन्न है।

बोर्ड की बैठक –

- (1) बोर्ड कारोबार के संव्यवहार के लिए अपनी बैठक साधारणतया तीन मास में एक बार करेगा, किन्तु यदि अध्यक्ष ऐसा करना आवश्यक समझता है तो वह किसी समय असाधारण बैठक बुला सकेगा।
- (2) बोर्ड की बैठकें ऐसे स्थानों पर की जाएगी जो अध्यक्ष स्वविवेकानुसार उस प्रयोजन के लिए नियत करे।

16. सहयोजित सदस्य –

अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को, या किसी एक या अधिक क्षेत्रीय अधिकारियों को या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को बोर्ड की किसी विशिष्ट बैठक में हाज़िर होने के प्रयोजन के लिए बोर्ड के सदस्य या सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकेगा और ऐसा अधिकारी या ऐसे अधिकारी तब उस बैठक में बोर्ड के विचार-विमर्श में भाग लेने के हकदार होंगे किंतु वे मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।

- 17. बैठक की सूचना (1) प्रत्येक सदस्य को बोर्ड की सभी बैठकों का कम से कम पूर्ण इक्कीस दिनों का नोटिस दिया जाएगा।
- (2) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद, अध्यक्ष द्वारा अर्जेंट बैठक तीन दिनों का नोटिस देकर बुलाई जा सकेगी।
- (3) सूचना में यह बताया जाएगा कि बैठकों में क्या कारोबार किया जाऐगा और बताए गए कारोबार से भिन्न कोई भी कारोबार उस बैठक में, अध्यक्ष की सहमति से या उसके प्रस्ताव पर ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

18. बैठकों में साधारणतया किया जानेवाला कारोबार-

बोर्ड का कारोबार साधारणतया उस बैठक में किया जाएगा जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से बुलाई गयी है;

परंतु यदि अध्यक्ष ठीक समझता है तो वह कोई भी अत्यावश्यक मामला सदस्य के बीच उनकी राय के लिए परिचालित कर सकेगा।

- 19. गणपूर्ति बोर्ड की प्रत्येक बैठक में गणपूर्ति पूरी मानी जाएगी;
- (1) यदि अध्यक्ष उपस्थित हो तो चार सदस्य से; और
- (2) यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो छह सदस्यों से होगी।

20. बैठक का सभापति -

बोर्ड की बैठकों में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित कोई सदस्य, सभापतित्व करेगा।

21. प्रश्न का विनिश्चय मतों की बहुसंख्या से किया जाएगा -

बोर्ड के समक्ष हर प्रश्न का विनिश्चय मतों की बहुसंख्या से किया जाएगा और मत बराबर होने की दिशा में, यथास्थिति, अध्यक्ष का या नियम 19 के अधीन सभापतित्व करने के लिए निर्वाचित सदस्य का, द्वितीय या निर्णायकमत होगा।

22. फिल्मों की जांच के लिए आवेदन.-

- (1) सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए किसी फिल्म का प्रमाणन करने के लिए प्रत्येक आवेदन बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाएगा, जिसे इसके बाद बोर्ड द्वारा निर्धारित सामान्य आवेदन पत्र के प्रारूप के अनुसार ई-सिनेप्रमाण पोर्टल के रूप में संदर्भित किया जाएगा।
- (2) बोर्ड से अंतिम प्रमाणन प्राप्त कर चुकी फिल्म की श्रेणी को टेलीविजन या मूल रूप से प्रमाणित माध्यम के अलावा ऐसे अन्य मीडिया पर प्रदर्शित करने के लिए पुन: प्रमाणन करने या बदलने के लिए कोई भी आवेदन ई-सिनेप्रमाण पोर्टल में सामान्य आवेदन प्रपत्र के अनुसार किया जाएगा।

(3) उपरोक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन पहली अनुसूची के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा:

परंतु यह कि विदेशी फिल्मों के मामले में, अध्यक्ष उनके संबंध में आवेदनों को उस क्षेत्रीय अधिकारी के अलावा किसी अन्य क्षेत्रीय अधिकारी को करने या स्थानांतरित करने का निर्देश या अनुमित दे सकेगा जिसे ऐसे आवेदन इस परंतुक के न होने पर दिए जाते:

परन्तु यह और कि अध्यक्ष निम्नलिखित परिस्थितियों में यह निदेश या अनुज्ञा दे सकेगा कि किन्ही फिल्मों या किसी वर्ग की फिल्मों कि बाबत आवेदन ऐसे क्षेत्रीय अधिकारी को अंतरित या दिए जाए जो उस क्षेत्रीय अधिकारी से भिन्न है जिसे ऐसे आवेदन इस परन्तुक के न होने पर दिए जाते हैं, अर्थात –

- (i) जहां अध्यक्ष का समाधान हो जाता है कि किसी फिल्म की जांच के लिए तुरंत कार्रवाई आवश्यक है या
- (ii) जहां किसी फिल्म का जांच ऐसे व्यक्तियों की सहायता से, जो उस फिल्म की भाषा से भली प्रकार परिचित हो, उस स्थान में संभव नहीं है, जहां इस परन्तुक के उपबन्धों के न होने पर वह परीक्षण के लिए परिदत्त की जाती; या
- (iii) ऐसे अन्य कारणों से जो अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (4) उप-नियम (1) या (2) के तहत ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ ई-सिनेप्रमाण पोर्टल पर निम्नलिखित ऑनलाइन जमा करना होगा, -
 - 1. नियम 36 के तहत निर्धारित शुल्क का भुगतान;
 - 2. फ़िल्म का सारांश, पूर्ण क्रेडिट शीर्षकों के साथ;
 - 3. संपूर्ण स्क्रिप्ट, जिसमें गाने का पूरा पाठ, यदि कोई हो, भी शामिल है;
 - 4. समान भाषा उपशीर्षक, समान भाषा ऑडियो विवरण, या समान भाषा क्लोज्ड कैप्शन, यदि कोई हो, और केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई अन्य पहुंच सुविधाएँ;
 - 5. फ़िल्म की अवधि दर्शाने वाला एक विवरण; और
 - 6. खंड (ग), (घ) और (ड.) के तहत जमा किए गए दस्तावेज़ टाइम काउंटर रीडिंग के साथ होंगे:

परंतु यह कि जहां फिल्म अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा या भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भारतीय भाषा में हो, आवेदक को सारांश का अंग्रेजी या हिंदी में अनुवाद, पूरी स्क्रिप्ट और गाने का पूरा पाठ, यदि कोई हो: प्रस्तुत करना होगा:

परंतु यह और कि पूर्ववर्ती परंतुक में निर्दिष्ट फिल्म की दशा में, क्षेत्रीय अधिकारी आवेदक को यह निदेश दे सकेगा कि वह संवाद, भाषणों या कमेंटरी के पूर्ण पाठ के अंग्रेजी या हिन्दी में अनुवाद भेजें;

(छ) फिल्म के निर्माता द्वारा लिखित में एक घोषणा की जाएगी जिसमें यह घोषित किया जाएगा कि तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के अधीन भारत में निर्मित फिल्म की शुटिंग के दौरान प्रयोग किए गए पशुओं के साथ क्रूरता नहीं की गई थी।

स्पष्टीकरण:- इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए;

- (i) ''पशु'' का अर्थ वही होगा, जो पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 (1960 का 59) की धारा 2 के खंड (क) में उसके लिए समुदेशित है:
- (ii) ''क्रूरता'' से पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 (1960 का 59) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ण) में विनिर्दिष्ट किसी रीति में पशुओं के साथ व्यवहार अभिप्रेत है ।
- (ज) यदि आवेदन नियम 29 की उपधारा (2) के अधीन नए प्रमाणपत्र के प्रयोजन के लिए किया जाता है तो, मूल प्रमाणपत्र या प्रमाणपत्र की डुप्लीकेट प्रति भेजी जाएगी और
- (झ) यदि आवेदन फिल्म के निर्माता या प्रतिलिप्याधिकार धारक के भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो समुचित मूल्य के स्टाम्पित कागज़ पर फिल्म के निर्माता या प्रतिलिप्याधिकार धारक के लिखित प्राधिकरण को अध्यक्ष द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

7

- (5) यदि किसी शॉर्ट फिल्म की दशा में क्षेत्रीय अधिकारी का समाधान हो जाता है कि आवेदक ऐसे कारणों से जो उसके नियंत्रण के बाहर है, उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज आवेदन के साथ देने में समर्थ नहीं है तो क्षेत्रीय अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि वे दस्तावेज फिल्म के परीक्षण के पश्चात ऐसी अविध के भीतर दिए जाए, जो वह विनिर्दिष्ट करें, या यह कि ऐसे दस्तावेज को पेश करने से अभिमुक्ति दी जा सकेगी।
- (6) उप-नियम (4) में उल्लिखित दस्तावेजों के अलावा ऐसे किसी भी आवेदन के साथ कोई अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाएगा।

23. जांच समिति.-

- 1. नियम 22 के तहत कोई आवेदन प्राप्त होने पर, क्षेत्रीय अधिकारी फिल्म की जांच के लिए एक जांच समिति नियुक्त करेगा और जांच आवेदक की लागत पर ऐसी तारीख, ऐसे स्थान और ऐसे समय पर की जाएगी जो क्षेत्रीय प्राधिकारी निर्धारित करे।
- 2. जांच समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे:-
- (क) लघु फिल्म के मामले में, सलाहकार पैनल का एक सदस्य और एक जांच अधिकारी, जिनमें से एक महिला होगी; और
- (ख) एक लान्ग फिल्म के मामले में, सलाहकार पैनल के चार सदस्य और एक जांच अधिकारी, जिनमें से दो महिलाएं होंगी:

बशर्ते कि यदि जांच अधिकारी किसी फिल्म की जांच में अपरिहार्य रूप से अनुपस्थित है, तो जांच समिति में अनुच्छेद (क) के तहत आने वाले मामले में सलाहकार पैनल के दो सदस्य और अनुच्छेद (ख) के तहत आने वाले मामले में सलाहकार पैनल के पांच सदस्य शामिल होंगे।

बशर्ते कि जांच समिति में अनुच्छेद (क) के तहत आने वाले मामले में एक सदस्य महिला होगी और अनुच्छेद (ख) के तहत आने वाले मामले में दो सदस्य महिलाएं होंगी।

3. क्षेत्रीय अधिकारी फिल्म के क्षेत्र में ऐसे विषय या भाषा विशेषज्ञों को जांच समिति द्वारा किसी फिल्म की जांच के लिए आमंत्रित कर सकता है, जिसे वह उचित समझे:

बशर्ते कि जांच समिति की बैठकों में भाग लेने वाले विशेषज्ञ आमंत्रितों को ऐसे शुल्क और भत्ते का भुगतान किया जाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाए:

बशर्ते कि जहां कहीं ऐसे विशेषज्ञ को प्रारंभिक स्क्रीनिंग के लिए आमंत्रित नहीं किया गया है, यदि जांच समिति निर्णय लेती है कि फिल्म को ऐसे विशेषज्ञ द्वारा देखा जाना आवश्यक है, तो आवेदक के लिए बिना किसी लागत के बोर्ड द्वारा दोबारा स्क्रीनिंग की जा सकती है।

- 4. जांच समिति द्वारा जांच की जाने वाली फिल्म होगी:
- (क) फिल्म पर पृष्ठभूमि संगीत और विधिवत रूप से रिकॉर्ड किए गए सभी ध्विन प्रभावों के साथ फिल्म अपने अंतिम रूप में होगी. और
- (ख) शीर्षक, कास्टिंग और क्रेडिट फिल्म के संवाद की भाषा में प्रदर्शित किए जाएंगे, और यदि आवेदक चाहे तो इसे किसी अन्य भाषा में भी प्रदर्शित किया जा सकता है।
- 5. प्रमाणन के लिए परीक्षण के उद्देश्य से फिल्मों के सभी पूर्वावलोकन और उनसे संबंधित रिपोर्ट और रिकॉर्ड को गोपनीय माना जाएगा।
- 6. फिल्म की जांच करने वाली जांच समिति के सदस्यों के नाम किसी भी पदाधिकारी या गैर-सरकारी व्यक्ति को, जो फिल्म के पूर्वावलोकन से संबंधित नहीं है, आवेदक सहित किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं बताए जाएंगे।
- 7. उप-नियम (5) और (6) की कोई भी बात बोर्ड द्वारा प्रदान किए गए प्रमाणपत्र में व्यक्तियों के नामों के प्रकटीकरण को प्रभावित नहीं करेगी।
- 8. आवेदक को पूर्वावलोकन थिएटर के अंदर उपस्थित होने की अनुमित नहीं दी जाएगी।
- 9. उप-नियम (5), (6) और (8) में निहित किसी भी बात के बावजूद, अध्यक्ष विशेष या सामान्य आदेश द्वारा स्टाफ के किसी भी सदस्य को आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करने के लिए पूर्वावलोकन में उपस्थित होने की अनुमित दे सकता है।

- 10. जांच समिति धारा 5ख की उपधारा (1) में निर्दिष्ट फिल्मों को प्रमाणित करने में मार्गदर्शन के सिद्धांतों और धारा 5ख की उपधारा (2) के तहत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए फिल्म की जांच करेगी।
- 11. फिल्म की जांच के तुरंत बाद जांच में भाग लेने वाली जांच समिति के प्रत्येक सदस्य को प्रीव्यू थिएटर छोड़ने से पहले दूसरी अनुसूची में निर्धारित फॉर्म VIII में लिखित रूप में अपनी राय दर्ज करनी होगी, जिसमें स्पष्ट शब्दों में कारण बताए जाएंगे और बताया जाएगा कि वे क्या विचार करते हैं-
 - (क) कि फिल्म अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है अर्थात 'यू' प्रमाणपत्र के लिए उपयुक्त; या
 - (ख) यह फिल्म अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है, इस बात की सावधानी के साथ कि क्या सात, तेरह या सोलह वर्ष से कम उम्र के बच्चे को फिल्म देखने की अनुमति दी जा सकती है, उपयुक्त 'यूए मार्कर' अर्थात 'यूए के साथ यूए मार्कर' प्रमाणपत्र के लिए उपयुक्त के संबंध में ऐसे बच्चे के माता-पिता या अभिभावक द्वारा इस पर विचार किया जाना चाहिए; या
 - (ग) यह फिल्म वयस्कों तक सीमित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है, अर्थात 'ए' प्रमाणपत्र के लिए उपयुक्त है; या
 - (घ) यह फिल्म किसी भी पेशे के सदस्यों या फिल्म की प्रकृति, सामग्री और विषय को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों के किसी भी वर्ग तक सीमित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है, अर्थात 'एस' प्रमाणपत्र के लिए उपयुक्त है; या
 - (ङ) यह कि फिल्म 'यू' या 'यूए मार्कर के साथ यूए' या 'ए' या 'एस' प्रमाणपत्र के लिए उपयुक्त है, जैसा भी मामला हो, यदि एक निर्दिष्ट भाग या भागों को वहां से हटाया या संशोधित किया गया हो; या
 - (च) कि फिल्म अप्रतिबंधित या प्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं है, अर्थात कि फिल्म को प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया जाए:
 - और यदि अध्यक्ष उस क्षेत्रीय केंद्र से दूर है जहां फिल्म की जांच की जाती है, तो उपरोक्त फॉर्म दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा।
- 12. जांच अधिकारी सभी संबंधित जांच सिमति के सदस्यों को उनकी सिफारिशें दर्ज करने के लिए जांच फॉर्म प्रस्तुत करेगा।
- 13. फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद जांच अधिकारी यह देखेगा कि-
 - (क) समिति के प्रत्येक सदस्य की सिफारिश स्पष्ट शब्दों में दर्ज की गई है और प्रत्येक कटौती या संशोधन को स्पष्ट शब्दों में कारण या कारणों के साथ उचित रूप से निर्दिष्ट किया गया है;
 - (ख) यह समितियों के सदस्यों द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित है।
 - (ग) जहां कहीं समिति के किसी भी सदस्य की रिपोर्ट अधूरी है, प्रीव्यू थिएटर छोड़ने से पहले उस तथ्य को संबंधित सदस्य के ध्यान में लाया गया है।
- 14. जांच अधिकारी तीन कार्य दिवसों के भीतर, सामग्री के प्रकार और अवधि के आधार पर तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्राधिकारी द्वारा विचार किए जाने के लिए जांच समिति के सभी सदस्यों की सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।
- 15. यह जांच करना कि सरकार द्वारा जारी प्रत्येक दिशानिर्देश का पालन किया गया है या नहीं और किसी भी चूक या विचलन को अध्यक्ष के ध्यान में लाना जांच अधिकारी की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी होगी।
- 16. एक लंबी फिल्म के लिए जांच समिति का कोरम चार लोगों का होगा, जिनमें से कम से कम दो महिलाएं होंगी।

24. प्रमाणीकरण:-

नियम 23 के उप नियम (14) में उल्लिखित रिकॉर्ड की प्राप्ति पर, तीसरी अनुसूची में दिए गए मामले में अधिकार क्षेत्र वाले प्राधिकारी जांच समिति की सिफारिश के अनुरूप या तो सर्वसम्मित से या बहुमत से, जब तक कि नियम 25 के उप-नियम (1) के प्रावधान आकृष्ट न हों, बोर्ड की ओर से आगे की कार्रवाई करेगा।

9

बशर्ते कि किसी लघु फिल्म के मामले में जब समिति की राय विभाजित हो, तो अध्यक्ष या तो स्वयं फिल्म की जांच करेगा और अपने निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए बोर्ड की ओर से आगे की कार्रवाई करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को निर्देश देगा।

25. पुनरीक्षण समिति:-

- 1. नियम 23 में निर्दिष्ट रिकॉर्ड प्राप्त होने पर, अध्यक्ष अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या धारा 4 की उप-धारा (2) के तहत किए गए अभ्यावेदन पर आवेदक के अनुरोध पर, इसे इस उद्देश्य के लिए गठित एक पुनरीक्षण सिमिति को भेज सकता है। .
- 2. उप-नियम (5) के अध्यधीन, पुनरीक्षण समिति में एक अध्यक्ष और नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जो बोर्ड के सदस्य या अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट किसी भी सलाहकार पैनल के सदस्य होंगे।

बशर्ते कि उप-नियम (11) के प्रावधानों के अध्यधीन, अध्यक्ष उतनी संख्या में महिला सदस्यों को नामांकित करके समिति में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व देगा जितनी वह उचित समझे।

3. क्षेत्रीय अधिकारी पुनरीक्षण समिति द्वारा किसी फिल्म की जांच के लिए फिल्म के क्षेत्र में ऐसे विषय/भाषा विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे;

> बशर्ते कि पुनरीक्षण समिति की बैठकों में भाग लेने वाले विशेषज्ञ आमंत्रितों को ऐसे भत्ते का भुगतान किया जाएगा जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं।

- 4. अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा नामित बोर्ड का कोई सदस्य पुनरीक्षण समिति की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- 5. जिस केंद्र पर नियम 22 के तहत आवेदन प्राप्त हुआ था, उसके क्षेत्रीय अधिकारी को पुनरीक्षण समिति की किसी भी बैठक में भाग लेने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, लेकिन उसे वहां वोट देने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- 6. सलाहकार पैनल का कोई भी सदस्य जो किसी फिल्म के लिए जांच सिमति का सदस्य रहा हो, उसी फिल्म के संबंध में पुनरीक्षण सिमिति का सदस्य नहीं होगा।
- 7. नियम 23 के उप-नियम (5) से (10) के प्रावधान पुनरीक्षण समिति या बोर्ड द्वारा फिल्म की जांच पर यथोचित परिवर्तनों के साथ लागु होंगे।
- 8. पुनरीक्षण समिति आवेदक के खर्च पर, ऐसी तारीख पर, ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर फिल्म की जांच करेगी, जैसा अध्यक्ष निर्धारित करे।
- 9. पुनरीक्षण समिति द्वारा परीक्षण के प्रयोजन के लिए, आवेदक को फिल्म का वही संस्करण प्रस्तुत करना होगा जो जांच समिति को दिखाया गया था और वह इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेगा और वह उस संबंध में लिखित रूप में आवश्यक घोषणा प्रस्तुत करेगा;
- 10. फिल्म की जांच के तुरंत बाद, पुनरीक्षण समिति का प्रत्येक सदस्य प्रीव्यू थिएटर छोड़ने से पहले दूसरी अनुसूची में निर्धारित फॉर्म VIII में लिखित रूप में अपनी सिफारिशें रिकॉर्ड करेगा, जिसमें स्पष्ट शब्दों में इसके कारणों का उल्लेख होगा और यह बताया जाएगा कि वे निम्नलिखित पर विचार करते हैं-
 - (क) कि फिल्म अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है, अर्थात 'यू' प्रमाणपत्र के लिए उपयुक्त है; या
 - (ख) यह फिल्म अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है, लेकिन इस बात की सावधानी के साथ कि क्या सात, तेरह या सोलह वर्ष से कम उम्र के बच्चे को फिल्म देखने की अनुमति दी जा सकती है, उपयुक्त 'यूए मार्कर' अर्थात 'यूए विद यूए मार्कर' प्रमाणपत्र के लिए उपयुक्त के संबंध में इस पर ऐसे बच्चे के माता-पिता या अभिभावक को विचार करना चाहिए; या
 - (ग) यह फिल्म वयस्कों तक सीमित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है, अर्थात 'ए' प्रमाणपत्र के लिए उपयुक्त है; या

- (घ) यह फिल्म किसी भी पेशे के सदस्यों या फिल्म की प्रकृति, सामग्री और विषय को ध्यान में रखते हुए व्यक्तियों के किसी भी वर्ग तक सीमित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है, अर्थात 'एस' प्रमाणपत्र के लिए उपयुक्त है; या
- (ङ) कि फिल्म 'यू' या 'यूए मार्कर के साथ यूए' या 'ए' या "एस" प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए उपयुक्त है, जैसा भी मामला हो, यदि एक निर्दिष्ट भाग या हिस्सों को वहां से हटाया या संशोधित किया जाता है; या
- (च) कि फिल्म अप्रतिबंधित या प्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त नहीं है, अर्थात फिल्म को प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया जाए।
- 11. पुनरीक्षण समिति के पीठासीन अधिकारी तीन दिन के भीतर पुनरीक्षण समिति के सभी सदस्यों की अनुशंसाएं अध्यक्ष को भेजेंगे।
- 12. पुनरीक्षण समिति का कोरम पाँच सदस्यों का होगा जिनमें कम से कम दो महिलाएँ होंगी;

बशर्ते कि महिला सदस्यों की संख्या उपनियम (2) के तहत गठित समिति के कुल सदस्यों की आधी से कम नहीं होगी।

13. पुनरीक्षण समिति का निर्णय फिल्म की जांच में भाग लेने वाले अधिकांश सदस्यों का निर्णय होगा और वोटों की समानता की स्थिति में, पीठासीन अधिकारी के पास दूसरा या निर्णायक वोट होगा:

बशर्ते कि जहां अध्यक्ष समिति के बहुमत के निर्णय से असहमत हो, बोर्ड स्वयं फिल्म की जांच करेगा या किसी अन्य पुनरीक्षण समिति द्वारा फिल्म की दोबारा जांच कराएगा और जैसा भी मामला हो, बोर्ड या दूसरी पुनरीक्षण समिति का निर्णय अंतिम होगा।

- 26. धारा 4 या धारा 5क के तहत बोर्ड के आदेश प्राप्त होने पर, क्षेत्रीय अधिकारी ई-सिनेप्रमाण पोर्टल के माध्यम से आवेदक को इसकी सूचना देगा और उक्त आदेशों के अनुसार ऐसे अन्य कदम उठाएगा जो वह आवश्यक समझे।
- 27. फ़िल्म के अंशों को हटाने के अध्यधीन प्रमाणपत्र जारी करना:-
 - 1. जहां आवेदक को किसी क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा सूचित किया जाता है कि किसी फिल्म को 'यू' या 'यूए मार्कर के साथ यूए' या 'ए' या 'एस' प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा, जैसा भी मामला हो, जब तक कि फिल्म से, एक निर्दिष्ट भाग या उसके हिस्से को हटा नहीं दिया जाता। क्षेत्रीय अधिकारी ऐसा प्रमाण पत्र जारी कर सकता है यदि वह आवेदक द्वारा लिखित रूप में की गई घोषणा (दूसरी अनुसूची में निर्धारित फॉर्म IX में) से संतुष्ट है कि जिस भाग या भागों पर आपत्ति जताई गई है, उसे फिल्म और उसकी सभी प्रतियां, चाहे वे कहीं भी मौजूद हों से हटा दिया गया है।

स्पष्टीकरण:- इस बात से संतुष्ट होने के प्रयोजन से कि फिल्म और उसकी सभी प्रतियों से जिस भाग या हिस्से पर आपत्ति जताई गई है, उसे हटा दिया गया है, क्षेत्रीय अधिकारी या अध्यक्ष आवेदक के खर्च पर फिल्म के संबंधित हिस्सों की जांच कर सकते हैं या इसकी जांच सलाहकार पैनल के एक या अधिक सदस्यों द्वारा ऐसे समय और स्थान पर जांच की जाएगी जो वे निर्धारित करें।

- 2. उप-नियम (1) के तहत जारी किए गए प्रमाणपत्र को हटाए जाने वाले अपेक्षित हिस्से या भागों के विनिर्देश और हटाए गए प्रत्येक भाग या हिस्सों की सटीक अविध के विवरण के साथ पृष्ठांकित किया जाएगा और दृश्य या अनुक्रम में कमी के मामले में, यह इसमें कम किए गए हिस्से की अविध और बनाए गए हिस्से की अविध का उल्लेख होगा और प्रमाणपत्र के बाएं हाथ के निचले कोने पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला त्रिकोण बना होगा।
- 28. प्रमाणित फिल्म जमा करना.- फीचर फिल्म के मामले में, आवेदक को पूर्वगामी नियमों के तहत प्रमाण पत्र देने से पहले, फिल्म की एक प्रति ऐसी अवधि के लिए और ऐसे प्रारूप में जमा की जाएगी जो रिकॉर्ड के प्रयोजन के लिए आवेदक द्वारा अपने खर्च पर बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

बशर्ते कि कोई आवेदक स्वेच्छा से प्रमाणित फिल्म की एक प्रति राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम-भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार के पास ऐसे प्रारूप में और ऐसे भुगतान पर जमा कर सकता है जो फिल्म के संरक्षण के लिए एनएफडीसी-एनएफएआई द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

29. प्रमाणपत्र की वैधता - किसी फिल्म के संबंध में धारा 5क की उपधारा (1) के तहत बोर्ड द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र, प्रदान किए जाने की तारीख से निरंतर रूप से वैध होगा, और संपूर्ण भारत में मान्य होगा।

30. धारा 6क का अनुपालन.-

- 1. धारा 6क के प्रयोजन के लिए वितरक या प्रदर्शक को अधिसूचना का तरीका वितरित या प्रदर्शित की जाने वाली प्रमाणित फिल्म के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप में (इसके भाग I और II दोनों शामिल होंगे) होगा।
- 2. उप-नियम (1) के प्रावधान किसी फिल्म के संबंध में प्रमाणपत्र के संशोधन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे यह प्रमाणपत्र के संबंध में लागू होते हैं।
- 3. उप-नियम (1) में निर्दिष्ट फिल्म के प्रमाणपत्र की एक प्रति फिल्म के साथ रखी जाएगी और थिएटर में उन सभी दिनों में प्रमुखता से प्रदर्शित की जाएगी, जिस दिन फिल्म वहां प्रदर्शित की जाती है।

31. प्रमाणपत्र जारी होने के बाद फिल्म में संशोधन -

1. जब किसी फिल्म को इन नियमों के तहत प्रमाणित होने के बाद, काट-छांट, जोड़, रंग या अन्यथा बदला जाता है, जिसमें फिल्म की मूल भाषा के अलावा अन्य भाषाओं में उपशीर्षक, ऑडियो विवरण या बंद कैप्शनिंग या अधिसूचित अन्य उपाय शामिल हैं जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया है, इसे तब तक प्रदर्शित नहीं किया जाएगा जब तक कि कटे हुए, जोड़े गए, रंगीन या अन्यथा परिवर्तित किए गए हिस्सों को दूसरी अनुसूची में फॉर्म III में बोर्ड को सूचित नहीं किया गया हो और बोर्ड ने प्रमाणपत्र में संशोधन पर परिवर्तन या परिवर्तनों के विवरण का समर्थन नहीं किया हो,

बशर्ते कि इस उप-नियम के तहत समर्थन के लिए बोर्ड को रिपोर्ट किया गया कोई भी काट-छांट, परिवर्धन, रंग या कोई अन्य संशोधन फिल्म की उस श्रेणी के अनुरूप होगा जिसे नियम 27 के तहत प्रमाणित किया गया है।

स्पष्टीकरण - किसी फिल्म में पृष्ठभूमि संगीत के किसी भी जोड़, विलोपन, परिवर्तन या प्रतिस्थापन को इस उप-नियम के तात्पर्य के भीतर फिल्म में संशोधन (जब तक कि अध्यक्ष सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश न दे) नहीं माना जाएगा।

2. उप-नियम (1) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन से, क्षेत्रीय अधिकारी आवेदक के खर्च पर, इस तरह से और ऐसी सहायता से, फिल्म की सामग्री की जांच करने के लिए एक जांच समिति नियुक्त करेगा जिसमें हिस्से बदल दिए गए हैं जैसा कि वह उचित समझे और जहां जांच समिति ने ऐसा करना आवश्यक समझा, वह पूरी फिल्म की दोबारा जांच करेगी:

बशर्ते कि जहां किसी फिल्म को छांट-छांट कर या रंगीन फिल्म को केवल काले और सफेद संस्करण में बदला जाता है, वहां आमतौर पर एक जांच समिति नियुक्त करना आवश्यक नहीं होगा जब तक कि क्षेत्रीय अधिकारी किसी भी मामले में अन्यथा निर्देश न दे।

3. उपनियम (2) के तहत नियुक्त जांच समिति में सलाहकार पैनल का एक सदस्य और एक जांच अधिकारी शामिल होगा।

बशर्ते कि जहां जांच अधिकारी फिल्म की जांच में अपरिहार्य रूप से अनुपस्थित हो, जांच समिति में सलाहकार पैनल के दो सदस्य शामिल होंगे।

- 4. इस नियम के तहत परिवर्तित फिल्म की जांच लंबित रहने तक, आवेदक प्रस्तावित परिवर्तन को शामिल करने वाली फिल्म का प्रदर्शन नहीं करेगा।
- 5. जहां, फिल्म या उसके किसी हिस्से की जैसा भी मामला हो, इस नियम के तहत दोबारा जांच की जाती है, अध्यक्ष जब तक कि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारण न दिए जाएं, वह परिवर्तन की अनुमित देने से इनकार करेगा, फिल्म के संबंध में दिए गए प्रमाण पत्र में उचित समर्थन करेगा।

32. प्रमाणपत्र -

1. किसी फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन को अधिकृत करने वाला प्रमाणपत्र फिल्म के अनुसार दूसरी अनुसूची में निर्धारित फार्मों फॉर्म IV, IV-A, V, VA, VI, VI-A, VII या VII-A] में से एक में होगा, वह 'यू' या 'यूए मार्कर के

साथ यूए' या 'ए' या 'एस' या [वी/यू या वी/यूए यूए मार्कर के साथ या वी/ए या वी/एस] प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, के लिए उपयुक्त होगा।

- 2. प्रमाणपत्र पर बोर्ड के लिए और उसकी ओर से अध्यक्ष या अध्यक्ष के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- 3. बोर्ड का निर्धारित चिह्न प्रमाणपत्र की एक फिल्म प्रति होगी, अर्थात एक ट्रेलर प्रमाणपत्र जो फिल्म के साथ चिपकाया जाएगा और सदा उसके साथ प्रदर्शित किया जाएगा, जहां ट्रेलर प्रमाणपत्र इतनी अविध के लिए होगा जितना कोई इसे स्क्रीन पर पढ़ सकता है:

बशर्ते कि प्रमाणपत्र का भाग I या भाग II प्रत्येक न्यूनतम 10 सेकंड की अविध के लिए दिखाया जाएगा: बशर्ते कि यदि बोर्ड द्वारा कोई कटौती या संशोधन का आदेश नहीं दिया गया है, तो प्रमाणपत्र के भाग II को दिखाने की आवश्यकता नहीं है।

33. श्ल्क -

1. प्रत्येक फिल्म की जांच के लिए निम्नलिखित तालिका में निर्धारित दरों पर शुल्क लिया जाएगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है और ई-सिनेप्रमाण पोर्टल के माध्यम से देय होगा:

शल्क की तालिका

जांच शुल्क (मुख्य रूप से शैक्षिक फिल्मों के अलावा)	जांच शुल्क	स्क्रीनिंग शुल्क
(रुपये में)	(मुख्यतः शैक्षिक फ़िल्में)	(रुपये में)
	(रुपये में)	
(2)	(3)	(4)
1,900	550	150
3,650	1,100	300
5,950	1,200	400
7,350	1,450	550
9,150	1,850	700
10,900	2,200	850
12,700	2,550	950
14,700	2,950	1,050
17,650	3,300	1,250
18,250	3,650	1,400
20,050	4,000	1,550
21,850	4,350	1,650
23,800	4,750	1,800
23,800	5,100	1,950
27,200	5,450	2,100
29,150	5,850	2,200
30,950	6,200	2,350
32,750	6,550	2,500
34,750	6,950	2,650
	(रुपये में) (2) 1,900 3,650 5,950 7,350 9,150 10,900 12,700 14,700 17,650 18,250 20,050 21,850 23,800 23,800 27,200 29,150 30,950 32,750	जांच शुल्क (मुख्य रूप से शैक्षिक फिल्मों के अलावा) (रुपये में) (2) (3) 1,900 550 3,650 1,100 5,950 1,200 7,350 1,450 9,150 10,900 2,200 12,700 2,550 14,700 2,950 17,650 3,300 18,250 3,650 20,050 4,000 21,850 23,800 4,750 23,800 5,100 27,200 5,450 29,150 30,950 6,200 32,750 6,550

- (2) नियम 33 के उप-नियम (1) के अनुसार, पांच दिनों के भीतर फिल्म की जांच के लिए देय शुल्क का 3 गुना भुगतान करने पर प्राथमिकता स्कीम के तहत आवेदन किया जा सकता है उपलब्ध स्लॉट के अधीन, जैसा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
- (3) नियम 31 के तहत परिवर्तनों को प्रमाणित करने के लिए फिल्म की जांच के लिए शुल्क की गणना केवल उस सामग्री के संदर्भ में की जाएगी, जिसमें अंशों को उकेरा, परिवर्द्धन, रंजन या अन्यथा बदला गया है तथा मूल प्रमाणीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरें लागू होंगी:
- (4) फिल्म की जांच से पहले प्रमाणन के लिए आवेदन वापस लेने की स्थिति में, बोर्ड, आवेदन पर, आवेदक को फिल्म की जांच के लिए भुगतान की गई राशि को 25 प्रतिशत की कटौती के बाद वापस कर सकता है।
- (5) यदि कोई आवेदक ऐसी जांच के लिए निर्धारित दिन, समय और स्थान पर जांच समिति या पुनरीक्षण समिति के समक्ष प्रिंट प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा। फिल्म की जांच के लिए देय शुल्क का भुगतान फिल्म की जांच के लिए किसी अन्य स्थान, तारीख और समय के तय होने से पहले किया जाएगा।
- 34. प्रवेश की शक्ति: अध्यक्ष या बोर्ड का कोई सदस्य या सलाहकार पैनल या कोई क्षेत्रीय अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी या बोर्ड के स्टाफ का सदस्य या अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में अधिकृत केंद्र सरकार का कोई अधिकारी, या सदस्य, या सूचना और प्रसारण मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव द्वारा इस संबंध में लिखित रूप से अधिकृत केंद्र सरकार का कोई भी अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए सिनेमाघरों से संबंधित कानून के तहत लाइसेंस प्राप्त किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है। अधिनियम या इन नियमों के तहत और उसके बाद ऐसे स्थान का मालिक या प्रबंधक उसे प्रवेश शुल्क और मनोरंजन कर वसूल किए बिना फिल्म देखने के लिए उच्चतम दर या नेक्स्ट लोअर क्लास की सीट प्रदान करेगा।
- 35. फिल्मों का विज्ञापन: कोई भी व्यक्ति 'यूए मार्कर के साथ यूए', 'ए' या 'एस' प्रमाणपत्र प्राप्त फिल्म का विज्ञापन करता है या समाचार पत्रों, होर्डिंग्स, पोस्टर, हैंडबिल या ट्रेलरों में प्रविष्टियों के माध्यम से ऐसी फिल्म का प्रदर्शन करता है। इसके प्रमाणीकरण की तारीख के बाद, समाचार पत्रों, होर्डिंग्स, पोस्टर, हैंडबिल या ट्रेलरों में ऐसे प्रविष्टियों में इंगित करें कि फिल्म को ऐसे सार्वजिनक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित किया गया है और ऐसे विज्ञापन में केवल फिल्म का प्रमाणित शीर्षक दर्शाया जाएगा।

36. अभिलेखों का रख-रखाव:-

- (1) बोर्ड और क्षेत्रीय अधिकारी निम्नलिखित का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रखेंगे -
- (क) अधिनियम के तहत जांच की गई प्रत्येक फिल्म का नाम;
- (ख) प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम;
- (ग) फिल्म का निर्माण या रिलीज करने वाले व्यक्ति या कंपनी का नाम;
- (घ) उस देश का नाम जहां मुल रूप से फिल्म का निर्माण किया गया था:
- (ड़) उस स्थान का नाम जहां फिल्म की जांच की गई थी:
- (च) जांच की तारीख;
- (छ) उन व्यक्तियों के नाम जिन्होंने फिल्म की जांच की;
- (ज) जांच और उस पर आगे की कार्यवाही का परिणाम;
- (झ) जारी किए गए प्रमाणपत्र की संख्या और तारीख, यदि कोई हो, साथ में उस पर किए गए किसी पृष्ठांकन की प्रति
- (ञ) ऐसे अन्य विवरण जो बोर्ड द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं।

37. फिल्मों के प्रमाणन के संबंध में समय सीमा:-

- (1) किसी फिल्म के प्रमाणन के लिए नियम 22 के तहत सभी प्रकार से पूर्ण (शुल्क के भुगतान सहित) आवेदन प्राप्त होने के बाद, बोर्ड उसकी प्राप्ति से सात दिनों के भीतर आवेदन की जांच करेगा।
- (2) बोर्ड, उप-नियम (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर फिल्म को जांच समिति को जांच के लिए भेजेगा।

(3) फिल्मों को आवेदन प्राप्त होने के क्रम में जांच समिति को भेजा जा सकता है:

बशर्ते कि क्षेत्रीय अधिकारी किसी भी आवेदक से अनुरोध प्राप्त होने पर और प्राथमिकता स्कीम के अनुसार नियम 33 के तहत जांच शुल्क का भुगतान करने पर, प्राथमिकता आवेदन प्राप्त होने के क्रम का पालन करते हुए, फिल्म के परीक्षण के क्रम में बदलाव कर सकता है।

- (4) (क) ऐसे मामले में जहां जांच समिति, फिल्म की जांच के बाद, शूटिंग स्क्रिप्ट की जांच (समान भाषा उपशीर्षक, समान भाषा ऑडियो विवरण और समान भाषा बंद कैप्शनिंग, यदि कोई हो) पर विचार करती है। ऐतिहासिक, पौराणिक, जीवनी या पौराणिक प्रकृति की किसी फिल्म में दर्शाई गई घटनाओं की प्रामाणिकता को सत्यापित करना आवश्यक है या नहीं, इस आशय की एक अनंतिम रिपोर्ट क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ऐसी जांच अधिकतम तीन कार्य दिवसों के भीतर अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी।
- (ख) खंड में निर्दिष्ट अनंतिम रिपोर्ट पर अध्यक्ष के आदेश की प्राप्ति के बाद अधिकतम तीन कार्य दिवसों के भीतर आवेदक को एक ऑनलाइन सूचना भेजी जाएगी।
- (क) और आवेदक को ऐसे संप्रेषण की तारीख से पांच दिनों के भीतर स्क्रिप्ट या प्रामाणिक स्रोत प्रस्तुत करना होगा जिस पर उसकी फिल्म का विषय आधारित है।
- (ग) ऐसे मामले में, जहां फिल्म की जांच के बाद जांच समिति के सदस्य अध्यक्ष को एक अनंतिम रिपोर्ट सौंपते हैं, जिसमें फिल्म में दर्शाए गए विषयों जैसे रक्षा या विदेशी संबंधों या किसी विशेष धर्म या कानून से संबंधित विषयों या दवा या किसी अन्य विषय पर, पर विशेषज्ञ की राय शामिल होती है। अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले मांगी जानी चाहिए, अध्यक्ष मामले की परिस्थितियों पर विचार करने के बाद विशेषज्ञ की राय प्राप्त करने और जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समय सीमा निर्दिष्ट कर सकता है।
- (घ) अन्य मामलों में, आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्क्रिप्ट या उसके द्वारा प्रस्तुत प्रामाणिक स्रोतों की जांच अधिकारी द्वारा की जाएगी और जांच समिति की अंतिम रिपोर्ट जांच अधिकारी द्वारा पांच दिनों के भीतर अध्यक्ष को भेज दी जाएगी, स्क्रिप्ट या प्रामाणिक स्रोतों की प्राप्ति की तारीख, जैसा भी मामला हो।
- (5) (क) परीक्षा समिति की सिफारिशों पर बोर्ड के आदेश प्राप्त होने पर, यदि धारा 4 की उपधारा (2) लागू है, तो आवेदक को तीन दिनों के भीतर संप्रेषण जारी किया जाएगा।
- (ख) आवेदक को संप्रेषण प्राप्त होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत करना होगा
- (6) ऐसे मामले में जहां फिल्म को पुनरीक्षण समिति को नहीं भेजा गया है, एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, या दो दिनों के भीतर निर्णय सूचित किया जाएगा।
- 7(क) ऐसे मामलों में जहां किसी फिल्म को पुनरीक्षण समिति को भेजा जाना है, आवेदक से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के बीस दिनों के भीतर पुनरीक्षण समिति का गठन किया जाएगा।
- (ख) उप-नियम (3) से (6) के प्रावधान पुनरीक्षण समिति द्वारा फिल्मों की जांच के लिए यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।
- (ग) जब किसी फिल्म को नियम 25 के उप-नियम (13) के प्रावधान के अनुसार किसी अन्य पुनरीक्षण समिति या बोर्ड को भेजा जाता है, तो समय सीमा को इस उपनियम का खंड (ए) और (बी) की तर्ज पर आगे बढ़ाया जाएगा।
- (8) आवेदक धारा 4 के तहत बोर्ड के अंतिम आदेशों की तारीख से चौदह कार्य दिवसों की अवधि के भीतर संशोधन प्रस्तुत करेगा और कटौती, यदि कोई हो, और प्रभावित सामग्री को उसके पूर्ण विवरण के साथ सरेंडर करेगा:
 - बशर्ते कि जहां आवेदक बोर्ड को आवेदन करता है कि वे बोर्ड के आदेशों के खिलाफ अपील करने का इरादा रखते हैं, बोर्ड कटौती के समर्पण के लिए ऊपर निर्दिष्ट अविध को उस अविध तक बढ़ा सकता है जब तक वह उचित समझे, लेकिन किसी भी मामले अपील के निपटान की तारीख से चौदह दिनों से अधिक नहीं या उन मामलों में अपील दायर करने की अविध की समाप्ति की तारीख से जहां कोई अपील दायर नहीं की गई है
- (9) संशोधन या कटौती और प्रभावित सामग्री की जांच क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किए जाने के दस कार्य दिवसों के भीतर की जाएगी।

- (10) यदि प्रासंगिक सामग्री की जांच पर संशोधन या कटौती उचित और पर्याप्त पाई जाती है और प्रमाण पत्र की प्रस्तुति के लिए आवश्यक सभी विवरण पूरे हैं, तो प्रमाण पत्र तैयार किया जाएगा और फिल्म को सबिमट करना या ई-सिनेप्रमाण पोर्टल पर अंतिम स्क्रिप्ट अपलोड करना, जैसा भी मामला हो, इन नियमों के तहत आवश्यक होने पर सबिमट करने की तारीख के पांच कार्य दिवसों के भीतर जारी किया जाएगा।
- (11) यदि प्रासंगिक सामग्री की जांच में संशोधन या कटौती अपर्याप्त पाई जाती है, तो क्षेत्रीय अधिकारी इसे रिकॉर्ड करेगा और बोर्ड के आदेश के दो दिनों के भीतर ई-सिनेप्रमाण पोर्टल के माध्यम से आवेदक को अनुपालन के लिए एक और संप्रेषण भेजेगा।
- (12) आवेदक संप्रेषण प्राप्त होने की तारीख से तीन दिनों के भीतर क्षेत्रीय अधिकारी को आगे के संशोधन या कटौती प्रस्तुत करेगा।
- (13) क्षेत्रीय अधिकारी उसकी प्राप्ति के पांच दिनों के भीतर आगे के संशोधन या कटौती और सामग्री को फिर से सत्यापित करेगा और यदि कटौती पर्याप्त पाई जाती है तो एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
- (14) इन नियमों के प्रयोजन के लिए, समय अवधि की गणना करते समय केवल कार्य दिवसों को ध्यान में रखा जाएगा।

38. फिल्मों के प्रमाणन के रिकॉर्ड का संरक्षण - फिल्मों के प्रमाणन के रिकॉर्ड को बोर्ड द्वारा निर्धारित अविध के लिए संरक्षित किया जाएगा।

पहली अनुसूची

[नियम 22 देखें]

कॉलम 3 में उल्लिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयातित या निर्मित फिल्मों के प्रमाणन के लिए आवेदन कॉलम 2 में क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किए जाएंगे:

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	आयातित या निर्मित फ़िल्में
1	बेंगलुरु	कर्नाटक राज्य
2	मुंबई	गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव
3	कोलकाता	बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
4	कटक	ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्य
5	दिल्ली	हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली
6	गुवाहाटी	अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, असम, मेघालय, सिक्किम और त्रिपुरा, मणिपुर राज्य
7	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य
8	चेन्नई	तमिलनाडु राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी
9	तिरुवनंतपुरम	केरल राज्य और संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप

नोट:- [1] किसी भी भारतीय भाषा में किसी भी फिल्म का डब संस्करण प्रमाणन के लिए केवल उस क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जाएगा जहां फिल्म का मूल संस्करण पहली बार प्रमाणित किया गया था।

दूसरी अनुसूची फॉर्म III [नियम 31 देखें]

	[नियम 31 देखें]
(प्रमाणित फिल्म में काट-छ	ाँट के संबंध में चलचित्र (प्रमाणीकरण) नियम, 2024 के नियम 31 के तहत रिपोर्ट।)
 1. आवेदक का नाम :	
2. फिल्म का नाम:	
3. प्रमाणपत्र संख्या	दिनांक
4. काट-छाँट का विवरण	Γ:
	दृश्य क्रमांक. दृश्य/संवाद/गीत की अवधि का विवरण
	**
(काट-छाँ	ट का सटीक समय-स्टैम्प निर्दिष्ट करें जिसमें काट-छाँट होता या होना है)
सेवा में,	
अध्यक्ष, केंद्रीय फिल्म् पर	। प्रमाणन बोर्ड, क्षेत्रीय अधिकारी के माध्यम से
, ,	······ ।रोक्त विवरण हर तरह से सत्य हैं और प्रमाणन के बाद फिल्म में किए गए काट-छाँट का
	आवेदक के हस्ताक्षर
दिनांक:	
पता :	
	फॉर्म IV
	[नियम 32(1) देखें]
	भारत सरकार
	केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
	प्रमाणपत्र केवल थियेट्रिकल रिलीज के लिए मान्य है
	भाग I
	दिनांकश्रेणी"यू"अवधि एमटीएस
समिति/पुनरीक्षण समिति व	मिति/पुनरीक्षण समिति के सदस्यों द्वारा फिल्म की जांच के बाद और उक्त जांच की सिफारिशों पर, बोर्ड प्रमाणित करता है कि फिल्म पीछे भाग II के सूचीबद्ध कटौती और ांधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है।
	अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शनी
आगे प्रमाणित किया गया ि	के बोर्ड द्वारा लगाए गए कटौती और संशोधन वास्तव में लागू किए गए हैं।
आवेदक का नाम	
निर्माता का नाम	अध्यक्ष

भाग II

काट-छाँट और संशोधनों का विवरण:

फॉर्म IV-क

[नियम 32(1) देखें]

भारत सरकार

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

यह प्रमाणपत्र केवल वीडियो फिल्मों के लिए मान्य है

		भाग ।	
प्रमाणपत्र		विनांकश्रेणीअवधि	"वी/यू"
समिति/पुनर्र	ोक्षण समिति की	मेति/पुनरीक्षण समिति के सदस्यों द्वारा फिल्म की जांच के ब । सिफारिशों पर, बोर्ड प्रमाणित करता है कि फिल्म के पीछे भाग II धेत सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है।	
		यूनिवर्सल वीडियो	
आगे प्रमाणि	त किया गया कि	बोर्ड द्वारा अधिरोपित काट-छांट और संशोधन वास्तव में लागू किए	र गए हैं।
आवेदक का न	नाम		
निर्माता का व	नाम	अध्यक्ष	
		भाग॥	
•		काट-छाँट और संशोधनों का विवरण:	
आवेदक का ग			
निर्माता का व	नाम 	अध्यक्ष 	
		भाग II	
		काट-छाँट और संशोधनों का विवरण:	
		फॉर्म V	
		[नियम 32(1) देखें]	
		भारत सरकार	
		केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	
		यह प्रमाणपत्र केवल थियेट्रिकल रिलीज़ के लिए मान्य है	
		भाग I	
प्रमाणपत्र		दिनांकश्रेणीअवधि एमटीएस	"ए"
समिति/पुनर्र	ोक्षण समिति की	मेति/पुनरीक्षण समिति के सदस्यों द्वारा फिल्म की जांच के ब । सिफारिशों पर, बोर्ड एतदद्वारा प्रमाणित करता है कि फिल्म सार्वज । तक सीमित है और ये पीछे संलग्न भाग II में सूचीबद्ध काट-छाँट औ	निक प्रदर्शन के लिए

केवल वयस्क

निर्माता का नाम	अध्यक्ष
गमाता भागा	બ ૦૫ પા
	 भाग II
	संशोधनों का विवरण:
•	ॉर्म V - क
[नियम्	म 32(1) देखें]
	रत सरकार
केंद्रीय फि	ल्म प्रमाणन बोर्ड
यह प्रमाणपत्र केवल र्व	ोडियो फिल्मों के लिए मान्य है
	भाग I
_	श्रेणी "वी/ए"
फिल्म	
9	ह सदस्यों द्वारा फिल्म की जांच के बाद और उक्त जांच
	दद्वारा प्रमाणित करता है कि फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए
	पीछे संलग्न भाग- ॥ में सूचीबद्ध काट-छांट और संशोधनों के
अधीन है।	- 7 2 - 0 2
	स्कों के लिए वीडियो
	रोपित काट-छांट और संशोधन वास्तव में लागू किए गए हैं।
आवेदक का नाम	
निर्माता का नाम	अध्यक्ष
•	 भाग II
की गई काट-छाँट	और संशोधनों का विवरण:
	फॉर्म VI
[नियम्	म 32(1) देखें]
	रत सरकार
केंद्रीय फि	ल्म प्रमाणन बोर्ड
यह प्रमाणपत्र केवल थिर	येट्रिकल रिलीज़ के लिए मान्य है
	भाग ।
mura ricor	श्रेणी "यू/ए मार्कर के स
ग्पपत्र संख्यादनाकफिल्म फिल्मफिल्म	
यू/ए"फिल्म	
यू/ए"फिल्म नीचे उल्लिखित जांच समिति/पुनरीक्षण समिति के	ह सदस्यों द्वारा फिल्म की जांच के बाद और उक्त जांच
यू/ए"फिल्म नीचे उल्लिखित जांच समिति/पुनरीक्षण समिति के समिति/पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर, बोर्ड एतः	्र सदस्यों द्वारा फिल्म की जांच के बाद और उक्त जांच दद्वारा प्रमाणित करता है कि फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए
यू/ए"फिल्म नीचे उल्लिखित जांच समिति/पुनरीक्षण समिति के समिति/पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर, बोर्ड एतः उपयुक्त है और इस सावधानी के साथ कि क्या सात,	

पेरन्टल गाइडेंस

इसके अलावा प्रमाणित	किया गया कि बोर्ड द्वारा अधिरोपित कांट-छांट और	: संशोधन वास्तव में लागू किए गए हैं।
आवेदक का नाम		
निर्माता का नाम		अध्यक्ष
	·	
	भाग II	
	की गई काट-छाँट और संशोधनों का विव	त्ररण:
	फॉर्म VI-क	
	[नियम 32(1) देखें]	
	भारत सरकार	
	केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	
	यह प्रमाणपत्र केवल वीडियो फिल्मों के लिए	र मान्य है
	भाग I	
प्रमाणपत्र	संख्यादिनांक	
"वी/ए"	फ़िल्मअवधि	एमटीएस
अनुमति दी जा सकती है	वधानी के साथ कि क्या सात, तेरह या सोलह वर्ष है, इस पर ऐसे बच्चे के माता-पिता या अभिभावक द्व द्व काट-छांट और संशोधनों के अधीन भी होना चाहि	ारा विचार किया जाना चाहिए और पीछे
	पेरन्टल गाइडन्स वीडियो	-
आवेदक का नाम	किया गया कि बोर्ड द्वारा अधिरोपित काट-छांट और	. संशाधन वास्तव म लागू किए गए हा
निर्माता का नाम		अध्यक्ष
	भाग II	
	काट-छाँट और संशोधनों का विवरण	т:
	फॉर्म VII	
	[नियम 32(1) देखें]	
	- भारत सरकार	
	केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	
	यह प्रमाणपत्र केवल थियेट्रिकल रिलीज़ के लि	ोए मान्य है
	भाग ।	
प्रमाणपत्र सं	दिनांकश्रेणी	"एस"
फिल्म		·

नीचे उल्लिखित जांच समिति/पुनरीक्षण समिति के सदस्यों द्वारा फिल्म की जांच के बाद और उक्त जांच समिति/पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों पर बोर्ड एतदद्वारा प्रमाणित करता है कि यह फिल्म किसी भी पेशे या किसी भी वर्ग के सदस्यों तक सीमित, सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त है और पीछे संलग्न भाग ॥ में सूचीबद्ध की गई काट-छाँट और संशोधनों के अधीन है:-

		विशिष्ट दर्शक	
इसके अलावा प्रमाणित वि	तेया गया कि बोर्ड द्वारा अधि	ग्रेरोपित काट-छांट और संशोधन	ा वास्तव में लागू किए गए हैं।
आवेदक का नाम			
निर्माता का नाम			अध्यक्ष
		 भाग II	
	काट-छाँट औ	र संशोधनों का विवरण:	
	τ	कॉर्म VII-क	
	[निय	ाम 32(1) देखें]	
	भ	ारत सरकार	
	केंद्रीय पि	फेल्म प्रमाणन बोर्ड	
	यह प्रमाणपत्र केवल	वीडियो फिल्मों के लिए मान्य है	रे
		भाग I	
	दिनांक	श्रेणी	"वी/एस"
नीचे उल्लिखित जांच । समिति/पुनरीक्षण समिति उपदर्शित काट-छांट और	समिति/पुनरीक्षण समिति/वे की सिफारिशों पर, बोर्ड ए	के सदस्यों द्वारा फिल्म की तदद्वारा प्रमाणित करता है कि	जांच के बाद और उक्त जांच यह फिल्म पीछे संलग्न भाग-2 में अथवा व्यक्तियों के किसी वर्ग के
विशिष्ट दर्शक वीडि	यो		
इसके अलावा प्रमाणित वि	hया गया कि बोर्ड द्वारा अधि	प्रेरोपित काट-छांट और संशोधन	वास्तव में लागू किए गए हैं।
आवेदक का नाम			
निर्माता का नाम			अध्यक्ष

भाग II

काट-छाँट और संशोधनों का विवरण:

फॉर्म VIII

[नियम 23(11) और 25(10) देखें]

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

जांच/पुनरीक्षण समिति के सदस्य की रिपोर्ट का फॉर्म

ध्यान	ध्यान दें:-कृपया फिल्म के प्रीव्यू से पूर्व सरकार द्वारा किए गए मार्गदर्शन सिद्धांतों का एक बार पुन: अध्ययन कीजिए।			
फिल्म	फिल्म का शीर्षक और भाषारंगीन/श्वेत-श्यामफिल्म की अवधि			
जांच की	तिथिसदस्य का नाम			
l. की है।	मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि मैंने दिशानिर्देशों के संदर्भ में उपरोक्त फिल्म की सावधानीपूर्वक जांच			
	मैं फ़िल्म को प्रमाणपत्र देने से इनकार करने की सिफ़ारिश करत	ता/करती हूं। या		
	मैं निम्नलिखित प्रमाणपत्र प्रदान करने की सिफारिश करता/कर	ती हूं।		
	यूए मार्कर के साथ ''यू'/'यूए/ 'ए'/'एस'			
	काट-छाँट या/और संशोधनों के साथ			
	बिना कांट-छांट/या और संशोधन के			
		[जो लागू न हो उसे काट दें]		
II.	II. 'एस' प्रमाणपत्र प्रदान करने के मामले में, कृपया व्यक्तियों के उस वर्ग या समूह को विनिर्दिष्ट करें जिसमें विशिष्ट दर्शक हो: -			
III.	III. प्रमाणपत्र देने से इनकार करने के कारण या 'यूए मार्कर के साथ यूए'/'ए'/'एस' प्रमाणपत्र देने के कारण।			
	नोट: 'यू' अनिर्बंधित सार्वजनिक प्रदर्शन			
	'यूए मार्कर के साथ यूए' - इस चेतावनी के समर्थन के साथ अनिर्बंधित सार्वजनिक प्रदर्शन कि सात, तेरह या सोलह वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फिल्म देखने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं, इस प्रश्न पर माता-पिता या अभिभावकों द्वारा विचार किया जाना चाहिए।			
	'ए'- वयस्कों के लिए अनिर्बंधित सार्वजनिक प्रदर्शन।			
	'एस'- किसी वृत्ति के सदस्यों या व्यक्तियों के किसी वर्ग के लिए अनिर्बंधित सार्वजनिक प्रदर्शन			
IV.	काट-छाँट/संशोधन का विवरण (कृपया नीचे नोट देखें)			
क्रमांक	काट-छांट या संशोधनों का स्पष्ट और विशिष्ट विवरण	दिशानिर्देशों के विशिष्ट संदर्भ के साथ कारण		

- V. विषयगत वर्गीकरण (केवल फीचर फिल्मों के मामले में):-
- VI. कोई अन्य टिप्पणी (कुछ दृश्यों और/या शब्दों को प्रथम दृष्टया आपत्तिजनक प्रतीत होने की अनुमति देने के औचित्य सहित)
- VII. मैं प्रमाणित करता हूं कि यदि फिल्म को ऊपर अनुशंसित अनुसार प्रमाणपत्र दिया जाता है तो दिशानिर्देशों का कोई उल्लंघन नहीं होगा।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि फिल्म का मूल्यांकन उसके समग्र प्रभाव के दृष्टिकोण से किया गया है; फिल्म की जांच फिल्म में चित्रित अवधि और देश के समकालीन मानकों और जिन लोगों से फिल्म संबंधित है, के आलोक में की गई है; और यह कि फिल्म लोगों की नैतिकता को ख़त्म नहीं करती है।

मैं प्रमाणित करता हूं कि फिल्म को अनिर्बंधित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अनुशंसित करते समय मैं स्वयं संतुष्ट हूं कि यह फिल्म बच्चों सहित परिवार के देखने के लिए उपयुक्त है।

हस्ताक्षर

- टिप्पणियाँ: 1. काट-छांट की सिफारिश करते समय काट-छांट की शुरुआत और अंत का स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाना चाहिए और काट-छांट की समयावधि कुल दृश्य के प्रतिशत के रूप में दी जा सकती है।
 - 2. यदि किसी दृश्य या अनुक्रम को कम करते हुए कुछ हिस्सों को पूरी तरह से हटाया जाना है तो इन्हें निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

प्रारूप-IX

[नियम 27 देखें]

मैं/हम	आवेदक	फिल्म के संबंध में फिल्म प्रमाणन बोर्ड
	. फिल्म के संबंध में एतद्वारा यह घोषणा करता/कर	
जिस हिस्से (हिस्सों)	पर आपत्ति जताई है, जैसा प्रमाणपत्र	पर दिया गया है, को फिल्म
से हटा दिया गया है।		
मैं/हम यह भी घोषणा करत	ना/करती हूं/करते हैं कि उपरोक्त घोषणा सभी प्रका	र से सही है।
		आवेदक के हस्ताक्षर
स्थान	नाम:	
दिनांक:	पता:	

तीसरी अनुसूची [नियम 23(14) देखें]

प्रमाणित की जाने वाली सामग्री के प्रकार और अवधि के आधार पर, एक जांच अधिकारी नियम 23 के उप-नियम (14) के तहत जांच समिति के सभी सदस्यों की सिफारिशें नीचे वर्णित प्राधिकारी को भेजेगा:

क्र.सं.	सामग्री का प्रकार और अवधि	सामग्री को मंजूरी देने के लिए प्राधिकारी
1.	थियेट्रिकल लांग (72 मिनट से अधिक)	अध्यक्ष
2.	थियेट्रिकल मीडियम (10 से 72 मिनट)	अध्यक्ष
3.	थियेट्रिकल शॉर्ट (10 मिनट से कम) - ट्रेलर/टीज़र/ प्रोमो और अन्य सिनेमाई सामग्री	अध्यक्ष

4.	थियेट्रिकल शॉर्ट (10 मिनट से कम) - अन्य	संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी
5.	थियेट्रिकल लांग डब किया गया	संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी
6.	डब किया गया थियेट्रिकल मीडियम	संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी
7.	डब किया गया थियेट्रिकल शॉर्ट	संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी
8.	वीडियो लॉन्ग/मीडियम	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
9.	वीडियो शॉर्ट-ट्रेलर/टीज़र/प्रोमो और अन्य सिनेमाई सामग्री	अध्यक्ष
10.	वीडियो शॉर्ट – अन्य	संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी
11.	कैटेगरी कन्वर्जन लांग	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
12.	रिवाइज्ड फिल्म कैटेगरी	मुख्य कार्यकारी अधिकारी

नोट: (1) उपरोक्त तालिका को केंद्र सरकार की मंजूरी से बोर्ड द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

[फा. सं. एम-11017/1/2024-डीओ(एफसी)]

पृथुल कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2024

G.S.R. 214(E).—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), and in supersession of the Cinematograph (Certification) Rules, 1983, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.-

- (1) These rules shall be called the Cinematograph (Certification) Rules, 2024.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires-
 - (i) "Act" means the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952);
 - (ii) "advisory panel" means the advisory panel of the Board constituted under rule 7;
 - (iii) "applicant" means a person applying for certification of a film for public exhibition under section 4;
 - (iv) "Assistant Regional Officer" means an assistant regional officer appointed under rule 9 and includes the Secretary to Chairperson;
 - (v) "Board" means the Board of Film Certification constituted under section 3;
 - (vi) "Chairperson" means the Chairperson of the Board;
 - (vii) "Chief Executive Officer" means a Chief Executive Officer appointed under rule 9;
 - (viii) "Examining Officer" means a Chief Executive Officer or a Regional Officer or an AdditionalRegional Officer or an Assistant Regional Officer or such other officer appointed by the Central Government for the purpose of examination of films;
 - (ix) "feature film" means fictionalized story long film;
 - (x) "foreign films" means films produced outside India;
 - (xi) "long film" is a film running 72 minutes or more, including the credit and title time of the film;
 - (xii) "member" means a member of the Board and includes the Chairperson;

- (xiii) "Regional Officer" means a Regional Officer appointed under rule 9 and includes a Chief Executive Officer, an Additional Regional Officer and an Assistant Regional Officer or such other officer appointed under that rule;
- (xiv) "section" means a section of the Act;
- (xv) "short film" means a film running less than 72 minutes;
- (xvi) "UA certificate" means a 'UA' certificate with the appropriate 'UA marker' as defined under clause (i) of section 2 of the Act; and

3. Terms of office.

- (1) A member of the Board shall hold office during the pleasure of the Central Government.
- (2) Subject to the provisions of sub-rule (1), the Chairperson shall hold office for a period of three years and shall continue to hold office until their successor is appointed;

Provided that pending the appointment of their successor, the Central Government may appoint another person to act as Chairperson in the interim for a period not exceeding one year.

(3) Subject to the provisions of sub-rule (1), every other member shall hold office for a period not exceeding three years:

Provided that the term of the members shall continue until new members are appointment in their place:

Provided further that the term of the members shall be discontinued in the sequence of their appointment.

(4) A retiring member or a member whose term of office has expired by efflux of time shall be eligible for re-appointment.

4. Representation of women in the board.-

The Central Government may take such steps as it thinks fit to appoint women members in the Board so that there is due representation for women, where for one-third of the members in the Board shall be women and preferably half shall be women.

5. Casual vacancy.-

A casual vacancy in the Board by resignation, death or removal of a member or otherwise shall be filled by the appointment of another member who shall hold office for the full term of membership provided under sub-rule (3) of rule 3.

6. Headquarters.-

Unless otherwise directed by the Central Government, the headquarters of the Board shall be at Mumbai.

7. Temporary absence of Chairperson.-

Notwithstanding anything contained in these rules, when the Chairperson is unable to discharge their functions owing to absence, illness or any other cause, the Central Government may nominate a member of the Board who will discharge the functions of the Chairperson until the Chairperson resumes their duties.

8. Constitution of advisory panels.-

- (1) The Central Government shall constitute an advisory panel at each of the regional offices of the Board.
- (2) An advisory panel constituted under sub-rule (1) shall consist of such number of members as the Central Government may, after consultation with the Board, determine.
- (3) The Central Government may, after consultation with the Board, appoint any person whom it thinks fit to be a member of an advisory panel;

Provided that the Central Government may dispense with such consultation in respect of such number of members not exceeding one-third of the total number of members of the advisory panel, as that Government thinks fit,

Provided further that for at least one-third of the members of the advisory panel shall be women and preferably half shall be women.

9. Terms of office of members of advisory panels.-

(1) A member of an advisory panel shall hold office during the pleasure of the Central Government.

- (2) Subject to the provisions of sub-rule (1), every such member shall hold office for a period not exceeding three years;
- (3) A retiring member or a member whose term of office has expired by efflux of time shall be eligible for reappointment,
- (4) The Central Government may remove from office any member of an advisory panel before the expiration of their term of office.

10. Officers of the Board.-

(1) For the purpose of enabling the Board to perform its functions under the Act, the Central Government may appoint a Chief Executive Officer, Regional Officers, Additional Regional Officers, Assistant Regional Officers and such other officers at the headquarters and at each of the regional offices of the Board:

Provided that the Central Government may delegate to the Chairperson/Chief Executive Officer subject to such conditions and limitations, if any, as may be specified by it, the power of appointment conferred on it under this sub-rule, other than the powers of appointment in relation to the posts of Regional Officer and Additional Regional Officer.

Provided further that the Chairperson or Chief Executive Officer may grant leave to or suspend or remove from service any officer appointed by him under the powers delegated to him under this sub-rule.

(2) The Regional Officers, Additional Regional Officers, Assistant Regional Officers and other officers appointed under sub-rule (1) shall perform such duties as may be assigned to them under these rules, or by the Chairperson or Chief Executive Officer or by the Board.

11. Duties of the Board.-

The Board shall, in addition to other duties prescribed under these rules,-

- (1) submit an annual report to the Central Government reviewing the work done by the Board during the preceding financial year and the report shall contain a detailed analytical study of the trends in film industry;
- (2) prescribe the manner in which the registers, records and accounts of the Board shall be kept; and
- (3) review the work of the Regional Officers and members of the Advisory Panels.

12. Assessment of public reactions to films.-

With a view to determining the principles to be observed in certifying films, the Board may take such steps as it thinks fit to assess public reactions to films, and for that purpose, the Board may hold symposia or seminars of film critics, film writers, community leaders and persons engaged in the film industry, or such other persons and also undertake local or national surveys to study the impact of various kinds of films on the public mind.

13. Terms and conditions of service (other than salary and allowances) of the Chairperson of the Board and allowances payable to the other members of the Board.-

(1) The Chairperson, if they are a paid full-time officer, shall be entitled to draw travelling and daily allowances as admissible under the Fundamental and Supplementary Rules, 1922 and shall be entitled to leave and leave salary and such other benefits and shall be governed by such conditions of service as are applicable to Central Government Officers engaged on contract:

Provided that in the case of an officer of an All India or Central Civil or General Central Service or State Service being appointed as Chairperson he shall be entitled to leave and leave salary and other benefits admissible to officers of such service so long as they continue to belong to that Service:

Provided further that if an officer who has already been holding a post under Government on contract with the benefits of Contributory Provident Fund is appointed as Chairperson, shall be allowed to carry forward the unutilised portion of leave earned by them during previous service and they shall also continue to be eligible for the Contributory Provident Fund benefits.

- (2) Every honorary member (including the Chairperson where they do not receive any salary) may,-
 - (a) be paid an allowance for attending the preview of a film or meeting of the Revising Committee or the Board at the rate as notified from time to time by the Central Government for each day of such preview or meeting;
 - (b) if they are an out-station member, travel by air or by train as admissible according to the orders issued by the Central Government from time to time in respect of journeys undertaken by them for the performance of their duties as such members;

14. Allowances payable to members of the advisory panels.-

- (1) Every member of the advisory panel shall be entitled to draw travelling and daily allowances for journeys performed by them for attending the meetings of the Board outside the headquarters or for the purpose of discharging any other duties prescribed under the Act with prior approval of the Chairperson on the scale provided under the Fundamental and Supplementary Rules, 1922 applicable to First Grade officers of Central Government.
- (2) Every member of the advisory panel shall be entitled to receive a consultancy fee for attending a preview of film or a meeting of the Committee or Panel or for verification of cuts and affected contents at the rate as notified from time to time by the Central Government, provided that payment of daily allowance in terms of sub-rule (1) above will not be admissible in addition to the payment of consultancy fees under this sub-rule.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), if any member of the advisory panel is a Member of Parliament, they shall not be entitled to any remuneration other than the allowances defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959).

15. Meetings of the Board.-

- (1) The Board shall ordinarily meet once a quarter for the transaction of business but the Chairperson may at any time call an extraordinary meeting if they consider it necessary to do so.
- (2) Meetings of the Board shall be held at such places as the Chairperson may at their discretion fix for the purpose.

16. Co-opted Members.-

The Chairperson may co-opt the Chief Executive Officer or any one or more of the regional officers or any officer of the Central Government as a member or members of the Board for the purpose of attending a particular meeting of the Board and such officer or officers shall then be entitled to participate in the deliberations of the Board at that meeting but shall not be entitled to vote.

17. Notice of meeting.-

- (1) At least twenty-one clear days' notice of all meetings of the Board shall be given to each member.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), an urgent meeting may be called by the Chairperson at three clear days' notice.
- (3) The notice shall state the business to be transacted at the meetings and no business other than that stated shall be transacted at such meeting except with the consent of the Chairperson or on his motion.

18. Business ordinarily to be transacted at meetings.-

The business of the Board shall ordinarily be transacted at a meeting duly called in accordance with the provisions of these rules:

Provided that the Chairperson may, if they think fit, circulate any urgent matter among the members for their opinion.

19. Quorum.-

At every meeting of the Board, quorum shall be considered to be constituted if there are:

- (a) four members if the Chairperson is present; or
- (b) six members if the Chairperson is absent.

20. President of the meeting.-

Meetings of the Board shall be presided over by the Chairperson, or in his absence, by a member elected by the members present from among themselves.

21. Question to be decided by majority of votes.-

Every question before the Board shall be decided by a majority of votes, and in the case of equality of votes, the Chairperson or the member elected to preside under rule 19, as the case may be, shall have a second or casting vote.

22. Application for examination of films.-

(1) Every application to certify a film for public exhibition shall be made on the online portal of the Board, hereinafter referred to as the e-cinepramaan portal in accordance with the format of the Common Application Form as prescribed by the Board.

- (2) Any application to re-certify or change the category of a film that has received final certification from the Board, to be exhibited on television or such other media other than the medium originally certified, shall be made on the e-cinepramaan portal in accordance with the Common Application Form.
- (3) The application referred to in sub-rule (1) above shall be made through the Regional Officer concerned as per the First Schedule:

Provided that in case of foreign films, the Chairperson may direct or permit applications in respect of them to be made or transferred to a Regional Officer other than the Regional Officer to whom such applications would have been made but for this proviso:

Provided further that the Chairperson may in the following circumstances, direct or permit applications in respect of any films or class of films to be made or transferred to a Regional Officer other than the Regional Officer to whom such applications would have been made but for this proviso, namely,-

- (i) where the Chairperson is satisfied that immediate action for examination of a film is necessary, or
- (ii) where examination of a film with the assistance of persons well acquainted with the language of the film is not possible at the place where but for the provisions of this proviso, it would have been made for examination, or
- (iii) for such other reasons as may be specified by the Chairperson in writing.
- (4) Every such application under sub-rules (1) or (2) shall be accompanied by online submission of following on the e-cinepramaan portal,-
 - (a) the payment of fee prescribed under rule 36;
 - (b) the synopsis of the film, together with full credit titles;
 - (c) the complete script, including the full text of the songs, if any;
 - (d) the same language subtitles, same language audio description, or same language closed captions, if any, and any other accessibility features as may be notified, from time to time, by the Central Government;
 - (e) a statement showing the duration of the film; and
 - (f) the documents submitted under clauses (c), (d) and (e) shall be accompanied by the Time Counter Reading:

Provided that where the film is in a language other than English or any Indian language listed in the Eighth Schedule of the Constitution of India, the applicant shall furnish the translation in English or Hindi of the synopsis, the complete script and the full text of the songs, if any:

Provided further that in the case of a film referred to in the preceding proviso, the Regional Officer may direct the applicant to also furnish the translation in English or Hindi of the full text of the dialogue, speeches or commentary in the film;

(g) a declaration made in writing by the producer of the film declaring that no cruelty was caused to the animals used during shooting of the films produced in India under any other law, for the time being in force.

Explanation: For the purpose of this clause:

- (i) "animal" shall have the meaning assigned to it under clause (a) of section 2 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960);
- (ii) "cruelty" means treating the animals in any manner specified in clauses (a) to (o) of sub-section (1) of section 11 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (59 of 1960);
- (h) if the applications made for the purpose of a fresh certificate under sub-rule (2) of rule 30, the copy of original certificate or duplicate certificate; and
- (i) if the application is made by a person other than the producer or copyright holder of the film an authorisation in writing on a stamped paper of appropriate value to be notified by the Chairperson from the producer or copyright holder of the film.
- (5) If, in the case of a short film, the Regional Officer is satisfied that the applicant is not able to furnish the documents specified in sub-rule (4) along with the application for reasons beyond his control, the Regional

Officer may direct that such documents may be furnished within such period after the examination of the film as they may specify or that the submission of such documents may be dispensed with.

(6) No such application shall be accompanied by any documents other than those mentioned in sub-rule (4).

23. Examining Committee.-

- (1) On receipt of an application under Rule 22, the Regional Officer shall appoint an Examining Committee to examine the film and the examination shall be made at the cost of the applicant on such date, at such place and at such time as the Regional Officer may determine.
- (2) The Examining Committee shall consist of:-
 - (a) in the case of a short film, a member of the advisory panel and an examining officer either of whom shall be a woman; and
 - (b) in the case of a long film, four members of the advisory panel and an examining officer of whom two persons shall be women:

Provided that if the examining officer is unavoidably absent at the examination of a film, the Examining Committee shall consist of two members of the advisory panel in a case falling under clause (a) and five members of the advisory panel in a case falling under clause (b):

Provided further that in the Examining Committee, in a case falling under clause (a) one member shall be a woman and in a case falling under clause (b) two members shall be women.

(3) The Regional Officer may invite such subject or language experts in the field of film as it may consider appropriate, for the examination of a film by the Examining Committee:

Provided that the expert invitees who attend the meetings of the Examining Committee shall be paid such fees and allowances as may be prescribed by the Central Government:

Provided further that where such an expert has not been invited for the initial screening, if the Examining Committee decides that the film is required to be seen by such expert, the screening may be done again by the Board, without any cost to the applicant.

- (4) The film to be examined by the Examining Committee shall be:
 - (a) in its final form with the background music and all sound effects duly recorded on the film itself, and
 - (b) the title, castings and credits shall be displayed in the language of the dialogue of the film, and the same may be displayed in any other language if so desired by the applicant.
- (5) All previews of films for the purpose of examination for certification and the reports and records relating thereto shall be treated as confidential.
- (6) The names of the members of the Examining Committee examining the film shall not be disclosed to any official or nonofficial not concerned with the preview of the particular film or to any other person including the applicant.
- (7) Nothing in sub-rules (5) and (6) shall affect the disclosure of names of persons in the certificate granted by the Board.
- (8) The applicant shall not be allowed to be present inside the preview theatre.
- (9) Notwithstanding anything contained in sub-rules (5), (6) and (8) the Chairperson may by special or general order permit any member of the staff to be present at the preview to render such assistance as may be required.
- (10) The Examining Committee shall examine the film having regard to the principles for guidance in certifying films specified in sub-section(1) of section 5B and the guidelines issued by the Government under subsection (2) of section 5B.
- (11) Immediately after the examination of the film each member of the Examining Committee attending the examination shall before leaving the preview theatre record their opinion in writing in Form VIII set out in the Second Schedule spelling out in clear terms the reasons therefore and state whether they consider-
 - (a) that the film is suitable for unrestricted public exhibition. i.e. fit for 'U' certificate; or
 - (b) that the film is suitable for unrestricted public exhibition with an endorsement of caution as to whether a child below the age of seven, thirteen or sixteen may be allowed to see the film should be

considered by the parents or guardian of such child with respect to the appropriate 'UA marker', i.e. fit for 'UA with UA marker' certificate; or

- (c) that the film is suitable for public exhibition restricted to adults, i.e. fit for 'A' certificate; or
- (d) that the film is suitable for public exhibition restricted to members of any profession or any class of persons having regard to the nature, content and theme of the film, i.e. fit for 'S' certificate; or
- (e) that the film is suitable for 'U' or 'UA with UA marker' or 'A' or 'S' certificate as the case may be if a specified portion or portions be excised or modified there from; or
- (f) that the film is not suitable for unrestricted or restricted public exhibition, i.e. that the film be refused a certificate;

and if the Chairperson is away from the regional centre where the film is examined, the form aforesaid shall be prepared in duplicate.

- (12) The Examining Officer shall furnish the examination form to all the concerned Examining Committee members for recording their recommendations.
- (13) After the screening of the film, the examining officer shall see that-
 - (a) the recommendation of every member of the Committee is recorded in unambiguous terms and each excision or modification is properly specified in clear terms with reason or reasons therefor;
 - (b) the same is duly signed by the members of the Committees and
 - (c) where the report of any member of the Committee is incomplete, that fact is brought to the notice of the member concerned before they leave the preview theatre.
- (14) The examining officer shall within three working days, submit the recommendations of all members of the Examining Committee to be considered by the authority prescribed in Third Schedule based on the type and length of the content.
- (15) It shall be the personal responsibility of the examining officer to examine whether each and every guideline issued by Government has been followed and to bring any lapse or deviation to notice of the Chairperson.
- (16) The quorum for the Examining Committee for a long film shall be four of whom at least two persons shall be women.

24. Certification:-

On receipt of the record referred to in sub-rule (14) of rule 23, the authority having jurisdiction in the matter as given in Third Schedule shall take further action on behalf of the Board in conformity with the recommendation of the Examining Committee either unanimous or by majority, unless the provisions of sub-rule (1) of rule 25 are not attracted:

Provided that in case of a short film when the Committee is divided in its opinion, the Chairperson shall either examine the film himself and take, or direct the Regional Officer concerned to take further action on behalf of the Board to give effect to his decision.

25. Revising Committee:-

- On receipt of the record referred to in Rule 23, the Chairperson may on his own motion or on the request of the applicant upon a representation made under sub-section (2) of section 4, refer it to a Revising Committee constituted for the purpose.
- (2) The Revising Committee shall, subject to sub-rule (5), consist of a Chairperson and not more than nine members, being members of the Board or members of any of the advisory panels, to be specified by the Chairperson.

Provided that subject to the provisions of sub-rule (11), the Chairperson shall give due representation to women in the Committee by nominating such number of women members as he thinks fit.

(3) The Regional Officer may invite such subject/language experts in the field of film as it may consider appropriate, for the examination of a film by the Revising Committee;

Provided that the expert invitees who attend the meetings of the Revising Committee shall be paid such allowances as may be prescribed by the Central Government.

- (4) The Chairperson or in his absence a member of the Board nominated by the Chairperson shall preside at every meeting of the Revising Committee.
- (5) The Regional Officer of the center where the application was received under rule 22, may be invited to attend any meeting of the Revising Committee and participate in proceedings thereof but he shall have no right to vote thereat.
- (6) No member of the advisory panel who has been a member of the Examining Committee for any film shall be a member of the Revising Committee in respect of the same film.
- (7) The provisions of sub-rule (5) to (10) of Rule 23 shall apply mutatis mutandis to the examination of film by the Revising Committee or the Board.
- (8) The Revising Committee shall examine the film at the expense of the applicant, on such date, at such place and at such time, as the Chairperson may determine.
- (9) For the purpose of examination by a Revising Committee, the applicant shall present the same version of the film which was shown to the Examining Committee and he shall make no change whatsoever in it and he shall furnish the necessary declaration in writing in that behalf;
- (10) Immediately after examination of the film, each member of the Revising Committee shall before leaving the preview theatre record his recommendations in writing in Form VIII set out in the Second Schedule spelling out in clear terms the reasons thereof and stating they consider-
 - (a) that the film is suitable for unrestricted public exhibition, i.e. fit for 'U' certificate; or
 - (b) that the film is suitable for unrestricted public exhibition but with an endorsement of caution as to whether a child below the age of seven, thirteen or sixteen may be allowed to see the film should be considered by the parents or guardian of such child with respect to the appropriate 'UA marker' i.e. fit for 'UA with UA marker' certificate; or
 - (c) that the film is suitable for public exhibition restricted to adults, i.e. fit for 'A' certificate; or
 - (d) that the film is suitable for public exhibition restricted to members of any profession or any class of persons having regard to the nature, content and theme of the film, i.e. fit for 'S' certificate; or
 - (e) that the film is suitable for grant of 'U' or 'UA with UA marker' or 'A' or "S" certificate, as the case may be, if a specified portion or portions be excised or modified therefrom; or
 - (f) that the film is not suitable for unrestricted or restricted public exhibition, i.e. that the film be refused a certificate.
- (11) The Presiding Officer of the Revising Committee shall, within three days, send the recommendations of all the members of the Revising Committee to the Chairperson.
- (12) The quorum of the Revising Committee shall be five members of whom at least two persons shall be women:

Provided that the number of women members shall not be less than one-half of the total members of a Committee constituted under sub-rule (2).

(13) The decision of a Revising Committee shall be that of the majority of the members attending the examination of the film and, in the event of an equality of votes, the Presiding Officer shall have a second or casting vote:

Provided that where the Chairperson disagrees with the decision of the majority of the Committee the Board shall itself examine the film or cause the film to be examined again by another Revising Committee and that the decision of the Board or the second Revising Committee, as the case may be, shall be final.

26. On receipt of the orders of the Board under section 4 or section 5A, the Regional Officer shall communicate the same to the applicant through the e-cinepramaan portal and take such other steps in accordance with the said orders as they may deem necessary.

27. Issue of certificate subject to removal of portions of film:-

(1) Where the applicant is informed by a Regional Officer that a film will not be granted 'U' or 'UA with UA marker' or 'A' or 'S' certificate, as the case may be unless a specified portion or portions thereof be removed from the film, the Regional Officer may issue such a certificate if he is satisfied on a declaration made in writing (in Form IX set out in the Second Schedule) by the applicant that the portion or portions objected to have been excised from film and from all copies thereof, wherever they may exist.

Explanation:- For the purpose of being satisfied that the portion or portions objected to have been excised from the film and from all copies thereof, the Regional Officer or the Chairperson may at the expense of the applicant examine the relevant portions of the film or cause it or them to be examined by one or more members of the advisory panel at such time and place as they may determine.

- (2) A certificate issued under sub-rule (1) shall be endorsed with a specification of the portion or portions required to be removed and a statement of the exact length of each part or parts removed and in the case of reduction of scene or sequences, it shall mention the length of the portion reduced and the length of the portion retained and shall bear a clearly visible triangle drawn at the left-hand bottom corner of the certificate.
- **28. Deposit of certified film.-** In the case of a feature film, prior to the grant of certificate to the applicant under the foregoing rules, a copy of the film for such period and in such format as may be prescribed by the Board shall be deposited by the applicant with the Board at his own expense for the purpose of record.
 - Provided that an applicant may voluntarily deposit a copy of the certified film with the National Film Development Corporation-National Film Archive of India in such format and on such payment as may be prescribed by NFDC-NFAI for preservation of the film.
- **29. Validity of certificate.-** A certificate granted by the Board under sub-section (1) of section 5A in respect of a film shall be valid perpetually from the date on which the certificate is granted, and shall be valid throughout India.

30. Compliance with section 6A.-

- (1) The manner of notification to the distributor or exhibitor for the purpose of section 6A, shall be in the electronic form (containing both Parts I and II thereof) with the certified film to be distributed or exhibited.
- (2) The provisions of sub-rule (1) shall apply in relation to an amendment of a certificate in respect of a film as it applied in relation to the certificate itself.
- (3) A copy of certificate of a film referred to in sub-rule (1) shall accompany the film and be prominently exhibited in the theatre on all days on which the film is exhibited therein.

31. Alteration of film after issue of certificate.-

(1) When a film is altered by, excision, addition, colouring or otherwise after it has been certified under these rules, including addition of subtitles, audio descriptions or closed captioning in languages other than the original language of the film or any other accessibility measures as notified by the Central Government from time to time, it shall not be exhibited unless the portions excised, added, coloured or otherwise altered, have been reported to the Board in Form III in the Second Schedule and the Board has endorsed the particulars of the alteration or alterations on the certificate,

Provided that any of the excisions, additions, colouring or any other alterations reported to the Board for endorsement under this sub-rule shall conform with the category of film it has been certified as under rule 27.

Explanation.- Any addition, deletion, alteration or replacement of background music in a film shall not be deemed to be an alteration (unless the Chairperson by general or special order otherwise directs) of the film within the meaning of this sub-rule.

(2) For the purpose of exercising its powers under sub-rule (1) the Regional Officer shall appoint an Examining Committee to examine the contents of the film in which the portions are altered, at the expense of the applicant, in such manner and with such assistance as he may deem fit and where the Examining Committee considered it necessary to do so, it shall re-examine the entire film:

Provided that where a film is altered by excision or by the change of a coloured film into black and white version only, it shall not ordinarily be necessary to appoint an Examining Committee unless the Regional Officer in any case otherwise directs.

(3) The Examining Committee, appointed under sub-rule (2) shall consist of one member of the Advisory Panel and an Examining Officer,

Provided that where the Examining Officer is unavoidably absent at the examination of the film, the Examining Committee shall consist of two members of the Advisory Panel.

(4) Pending examination of the altered film under this rule, the applicant shall not exhibit the film incorporating the proposed alteration.

(5) Where the film or any portion thereof as the case may be, is re-examined under this rule, the Chairperson shall unless, for reasons to be recorded in writing, he declines permission for the alteration, make suitable endorsement in the certificate granted in relation to the film.

32. Certificates -

- (1) A certificate authorising the public exhibition of a film shall be in one of the forms [Forms IV, IV-A, V, V-A, VI, VI-A, VII or VII-A] set out in the Second Schedule according as the film is fit for 'U' or 'UA with UA marker' or 'A' or 'S' or [V/U or V/UA with UA marker or V/A or V/S] certificate as the case may be.
- (2) The certificate shall be signed for and on behalf of the Board by the Chairperson or by a regional officer for the Chairperson.
- (3) The prescribed mark of the Board shall be a film copy of the certificate, i.e. a trailer certificate which shall be affixed to the film and always exhibited with it, where the trailer certificate shall be for such duration as one can read it on the screen:

Provided that Part I or Part II of the certificate shall be shown for a minimum duration of 10 seconds each:

Provided further that if there are no excisions or modifications ordered by the Board, Part II of the certificate need not be shown.

33. Fees. -

(1) A fee shall be charged for the examination of every film at the rates laid down in the following Table which may be amended from time to time by the Central Government and shall be payable through the e-cinepramaan portal:

Table of Fees

Duration	Examination Fees	Examination Fees	Screening Fees
in	(Other than Predominantly	(Predominantly Educational	(in rupees)
minutes	Educational films)	films)	
(up to	(in rupees)	(in rupees)	
and inclusive of)			
(1)	(2)	(3)	(4)
10	1,900	550	150
20	3,650	1,100	300
30	5,950	1,200	400
40	7,350	1,450	550
50	9,150	1,850	700
60	10,900	2,200	850
70	12,700	2,550	950
80	14,700	2,950	1,050
90	17,650	3,300	1,250
100	18,250	3,650	1,400
110	20,050	4,000	1,550
120	21,850	4,350	1,650
130	23,800	4,750	1,800
140	23,800	5,100	1,950
150	27,200	5,450	2,100
160	29,150	5,850	2,200
170	30,950	6,200	2,350
180	32,750	6,550	2,500
190	34,750	6,950	2,650
200	36,300	7,250	2,800

- (2) Application under the priority scheme may be made upon payment of 3 times the fee payable for examination of the film as per sub-rule (1) of rule 33, for scheduling examination of a filmpreferably within five days, subject to available slots as decided by Central Board of Film Certification.
- (3) Fee for the examination of a film for certifying alterations under rule 31 shall be calculated only with reference to the contents, in which the portions excised, added, coloured, or otherwise altered occur and for the purposes at the rates notified from time to time by the Central Government, for original certification shall be applicable:
- (4) In the event of an application for certification being withdrawn before the film is examined, the Board may, on an application, refund to the applicant the amount of fee paid towards the examination of the film after deducting 25 per cent. of the amount so paid.
- (5) In the event of an applicant failing to present a print before the Examining Committee or the Revising Committee on the day and time and at the place fixed for such examination, an additional fee of 25 per cent. of the fee payable for examination of the film shall be paid before another place, date and time for the examination of the film is fixed.
- **34. Power of entry: -** The Chairperson or any member of the Board or an advisory panel or a Regional Officer or any other officer or member of the staff of the Board or any officer of the Central government authorised in writing by the Chairperson, or members, or any officer of the Central Government authorised in writing by the Secretary to the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting in this behalf may enter any place licensed under the law in force relating to cinemas, in the discharge of their duties under the Act or these rules and thereupon the owner or the manager of such place shall provide him with a seat of the highest rate or the next lower class to view the film without charging the admission fee and entertainment tax.
- **35.** Advertisement of films: Any person advertising a film granted 'UA with UA marker', 'A' or 'S' certificate or the exhibition of such film by means of insertions in newspapers, hoardings, posters, handbills or trailers shall, after the date of its certification, indicate in such insertions in newspapers, hoardings, posters, handbills or trailers that the film has been certified for such public exhibition and such advertisement shall indicate only the certified title of a film.

36. Maintenance of Records: -

- (1) The Board and Regional Officers shall maintain an electronic record of the following -
 - (a) the name of every film examined under the Act;
 - (b) the name of the person applying for the certificate;
 - (c) the name of the person or company producing or releasing the film;
 - (d) the name of the country in which the film was originally produced;
 - (e) the name of the place where the film was examined;
 - (f) the date of the examination;
 - (g) the names of the persons who examined the film;
 - (h) the result of the examination and of any further proceedings thereon;
 - (i) the number and date of the certificate issued, if any, together with a copy of any endorsement made thereon
 - (j) such other particulars as may be determined by the Board.

37. Time limit in relation to certification of films: -

- (1) After an application under rule 22 for the certification of a film, complete in all respects (including the payment of fee) is received, the Board shall scrutinize the application within seven days from the receipt thereof.
- (2) The Board shall, within fifteen days from receiving an application under sub-rule (1) refer the film for examination to an Examining Committee.
- (3) The films may be referred to the Examining Committee in the order in which the applications are received:

Provided that the Regional Officer may on receipt of request from any applicant and on payment of examination fee under rule 33 as per the priority scheme, following the order of receipt of priority application, alter the order of examination of the film.

- (4) (a) In case where the Examining Committee, after examination of the film, considers that a scrutiny of the shooting script (including same-language subtitles, same-language audio descriptions and same-language closed captioning, if any) is necessary or the authenticity of the incidents depicted in a film of historical, mythological, biographical, or legendary nature is to be verified, a provisional report to that effect shall be submitted by the Regional Officer to the Chairperson within a maximum of three working days after such examination.
 - (b) An online communication shall be sent to the applicant within a maximum of three working days following the receipt of the Chairperson's order on the provisional report referred to in clause (a) and the applicant shall submit the script or the authentic sources on which the subject of his film, is based within five days from the date of such communication.
 - (c) In case, where the members of the Examining Committee after the examination of the film submit to the Chairperson a provisional report indicating that expert opinion on subjects depicted in the film such as subjects relating to defense or foreign relations or any particular religion or law or medicine or any other subject, should be sought before the final report is submitted, the Chairperson may after taking into consideration the circumstances of the case specify a time limit for obtaining the expert opinion and for the submission of the final report of the Examining Committee thereafter.
 - (d) In other cases, the script submitted by the applicant or the authentic sources furnished by him shall be scrutinised by the examining officer and the final report of the Examining Committee shall be forwarded by the examining officer to the Chairperson within five days from the date of receipt of the script or the authentic sources, as the case may be.
- (5) (a) On receipt of the orders of the Board on the recommendations of the Examining Committee, in case where sub-section (2) of section 4 is applicable, the communication to the applicant shall be issued within three days.
 - (b) The applicant shall submit his reply within five working days of the receipt of the communication.
- (6) In case where the film is not referred to a Revising Committee, a certificate shall be issued, or decision communicated within two days.
- (7) (a) In cases where a film is to be referred to a Revising Committee, the Revising Committee shall be constituted within twenty days from the receipt of the necessary documents from the applicant.
 - (b) The provisions of sub-rule (3) to (6) shall apply mutatis mutandis to the examination of films by the Revising Committee.
 - (c) When a film is referred to another Revising Committee or to the Board in terms of proviso to sub-rule (13) of rule 25, the time limit will be further extended on the lines of clauses (a) and (b) of this sub-rule.
- (8) The applicant shall submit the modifications and surrender the cuts, if any, and the affected contents together with full particulars thereof, within a period of fourteen working days from the date of the final orders of the Board under section 4:

Provided that where the applicant applies to the Board that they intend to appeal against the orders of the Board, the Board may extend the period specified above for surrender of the cuts by such period as it thinks fit, but in any case not beyond fourteen days from the date of disposal of the appeal or from the date of expiration of the period for filing the appeal in cases where no appeal is filed.

- (9) The modification or cuts and the affected contents shall be examined by the regional officer within ten working days of the submission of the same.
- (10) If the modification or cuts are found to be due and adequate on the scrutiny of the relevant contents and all particulars necessary for the presentation of the certificate are fully furnished, certificate shall be prepared and issued within five working days of the date of submission of the film or upload of the final script on e-cinepramaan portal, as the case may be, as required under these rules.
- (11) If however the modification or cuts are found to be inadequate on a scrutiny of the relevant contents, the regional officer shall record the same and send within two days a further communication to the applicant through the e-cinepramaan portal for compliance with the orders of the Board.
- (12) The applicant shall submit further modification or cuts to the regional officer within three days from the date of receipt of the communication.
- (13) The Regional Officer shall again verify further modification or cuts and the contents within five days of the receipt of the same and if the cuts are found to be adequate a certificate shall be issued.

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 35

- (14) For the purpose of these rules, only working days shall be taken into account while calculating time periods.
- **38. Preservation of records of certification of films** –The records of certification of films shall be preserved for a period as prescribed by the Board.

FIRST SCHEDULE

[See rule 22]

APPLICATIONS FOR CERTIFICATION OF FILMS IMPORTED INTO OR PRODUCED IN THE STATES/UNION TERRITORIES MENTIONED IN COLUMN 3 SHALL BE PRESENTED AT THE REGIONAL OFFICE IN COL 2:

Sl. No.	Regional Office Situated at	Films imported into or produced in	
1	Bengaluru	State of Karnataka	
2	Mumbai	States of Goa, Gujrat, Madhya Pradesh and Maharashtra and the Union Territories of Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu	
3	Kolkata	States of Bihar, Jharkhand and West Bengal and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands	
4	Cuttack	States of Odisha and Chhattisgarh	
5	Delhi	States of Haryana, Himachal Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, Uttarakhand and the Union Territories of Jammu & Kashmir, Ladakh, Chandigarh and Delhi	
6	Guwahati	States of Arunachal Pradesh, Mizoram, Nagaland, Assam, Meghalaya, Sikkim and Tripura, Manipur.	
7	Hyderabad	States of Andhra Pradesh and Telangana	
8	Chennai	State of Tamil Nadu and the Union Territory of Puducherry	
9	Thiruvananthapuram	State of Kerala and the Union Territory of Lakshadweep	

Note:- [1] The dubbed version of a film, in whatever Indian language, will be submitted for certification only to the Regional Office where the original version of the film was certified in the first instance.

SECOND SCHEDULE

FORM III

[See rule 31]

(Report under rule 31 of the Cinematograph (Certifications) Rules, 2024 regarding an alteration or alterations in a certified film.)

- 1. Name of the applicant:
- 2. Name of the film:
- 3. Certificate No. Dated
- 4. Particulars of alterations :

Scene No. Description of the scene/dialogue/song length

**

(Specify the exact time-stamp of alteration or alterations in which the alteration or alterations occurs or occur)

10	
The Chairman, Central Bo	ard of Film Certification Through the Regional Officer
at	
I declare that the above pa alterations made in the filr	rticulars are true in every respect and are full description of the alteration or a after its certification.
Date:	Signature of Applicant
Address:	
	Form IV
	[See rule 32(1)]
	GOVERNMENT OF INDIA
	CENTRAL BOARD OF FILM CERTIFICATION
THE CER	TIFICATE IS VALID FOR THEATRICAL RELEASE ONLY
	PART I
	DATEDCATEGORY
"U"	FILMDURATION MTS
below and on the reco	m by the members of the Examining Committee/ Revising Committee mentione ommendations of the said Examining Committee/ Revising Committee, the Boar of film is fit for unrestricted public exhibition subject to excisions and modification everse:-
	UNRESTRICTED PUBLIC EXHIBITION
	sions and modifications imposed by the Board have actually been carried out.
Name of the applicant	CHAIDMAN
Name of the Producer	CHAIRMAN
	PART II
	Particulars of excisions and modifications:
	Form IV-A
	[See rule 32(1)]
	GOVERNMENT OF INDIA
	CENTRAL BOARD OF FILM CERTIFICATION
THI	S CERTIFICATE IS VALID FOR VIDEO FILMS ONLY
	PART I
CERTIFICATE "V/U"	NODATEDCATEGORYLENGTH
below and on the recommend	n by the members of the Examining Committee/ Revising Committee mentioned lations of the said Examining Committee/ Revising Committee, the Board hereby unrestricted public exhibition subject to excisions and modifications listed in Part
	UNIVERSAL VIDEO
Further certified that the excis	ions and modifications imposed by the Board have actually been carried out.
Name of the applicant	
Name of the Producer	CHAIRMAN

PART II

Particulars of excisions and modifications:

Form V

[See rule 32(1)]

GOVERNMENT OF INDIA

CENTRAL BOARD OF FILM CERTIFICATION

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THEATRICAL RELEASE ONLY

	F	Part I	
		CATEGORYI	
		e Examining Committee/ Revis	
	or public exhibition, restric	ining Committee/ Revising Conted to adults only, subject to e	
	ADU	LTS ONLY	
Further certified that the exc	isions and modifications in	mposed by the Board have actua	ally been carried out.
Name of the applicant			
Name of the Producer		CHAIRMAN	
	PA	.RT II	
	Particulars of excisi	ons and modifications:	
	For	rm V-A	
	[See r	ule 32(1)]	
	GOVERNM	ENT OF INDIA	
	CENTRAL BOARD O	F FILM CERTIFICATION	
TH	IIS CERTIFICATE IS VA	LID FOR VIDEO FILMS ONL	Y
	F	Part I	
		CATEGORY	
below and on the recommen	ndations of the said Examor public exhibition, restric	e Examining Committee/ Revising Committee/ Revising Conted to adults only, subject to e	mmittee, the Board hereby
	ADULTS	ONLY VIDEO	
Further certified that the exc	isions and modifications in	mposed by the Board have actua	ally been carried out.
Name of the applicant			

CHAIRMAN

Name of the Producer

PART II

Particulars of excisions and modifications:

Form VI

[See rule 32(1)]

GOVERNMENT OF INDIA

CENTRAL BOARD OF FILM CERTIFICATION

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THEATRICAL RELEASE ONLY

Unrt	

Part I			
CERTIFICATE.NODATEDCATEGORY" "U/A with U/A marker"FILM			
After examination of the film by the members of the Examining Committee/ Revising Committee mentioned below and on the recommendations of the said Examining Committee/ Revising Committee, the Board hereby certifies that the film is fit for public exhibition with endorsement of caution that the question as to whether in child below the age of seven , thirteen or sixteen years may be allowed to see the film should be considered by the parents or the guardian of such child and also subject to excisions and modifications listed in Part II on the reverse:-			
PARENTAL GUIDANCE			
Further certified that the excisions and modifications imposed by the Board have actually been carried out.			
Name of the applicant			
Name of the Producer CHAIRMAN			
PART II			
Particulars of excisions and modifications:			
Form VI-A			
[See rule 32(1)]			
GOVERNMENT OF INDIA			
CENTRAL BOARD OF FILM CERTIFICATION			
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR VIDEO FILMS ONLY			
Part I			
CERTIFICATE.NODATEDCATEGORYLENGTH MTS			
After examination of the film by the members of the Examining Committee/ Revising Committee mentioned below and on the recommendations of the said Examining Committee/ Revising Committee, the Board hereby certifies that the film is fit for public exhibition with endorsement of caution that the question as to whether in child below the age of seven, thirteen or sixteen years may be allowed to see the film should be considered by the parents or the guardian of such child and also subject to excisions and modifications listed in Part II on the reverse:-			
PARENTAL GUIDANCE VIDEO			
Further certified that the excisions and modifications imposed by the Board have actually been carried out.			
Name of the applicant			
Name of the Producer CHAIRMAN			

PART II

Particulars of excisions and modifications:

Form VII

[See rule 32(1)]

GOVERNMENT OF INDIA

CENTRAL BOARD OF FILM CERTIFICATION

THIS CERTIFICATE IS VALID FOR THEATRICAL RELEASE ONLY

Part I				
	DATED FILM	CATEGORY		
After examination of the film by the members of the Examining Committee/ Revising Committee mentioned below and on the recommendations of the said Examining Committee/ Revising Committee the Board hereby certifies that the film is fit for public exhibition restricted to members of any profession or any class of persons, subject to excisions and modifications listed in Part II on the reverse:-				
	SPECIALISED.	AUDIENCE		
Further certified that the	Further certified that the excisions and modifications imposed by the Board have actually been carried out.			
Name of the applicant				
Name of the Producer		CHAIRMAN		
	P./	 ART II		
	Particulars of excis	sions and modifications:		
	For	m VII-A		
	[See	rule 32(1)]		
	GOVERNM	MENT OF INDIA		
	CENTRAL BOARD C	OF FILM CERTIFICATION		
THIS CERTIFICATE IS VALID FOR VIDEO FILMS ONLY				
		Part I		
	DATEDFILM	CATEGORY		
After examination of the film by the members of the Examining Committee/ Revising Committee/ mentioned below and on the recommendations of the said Examining Committee/ Revising Committee, the Board hereby certifies that the film is fit for public exhibition restricted to members of any profession or any class of persons, subject to excisions and modifications listed in Part II on the reverse				
SPECIALISED A	UDIENCE VIDEO			
Further certified that the	excisions and modifications i	mposed by the Board have actually been carried out.		
Name of the applicant				
Name of the Producer		CHAIRMAN		

Signature

PART II

Particulars of excisions and modifications:

FORM VIII

[See rules 23(11) and 25(10)]

CENTRAL BOARD OF FILM CERTIFICATION

Form of Report of Member of Examining/Revising Committee

IV.D.	•-	riease study the guidennes issued by the Governin	ient once again before you preview the min.
Title	of	the film and languageColour/Black an	d WhiteRunning time of the film
Date	of	ExaminationName of the	Member
I. I certify that I have carefully examined the above film with reference to the guidelines.			lm with reference to the guidelines.
	I	recommend refusal of certificate to the film. OR	
	I	recommend the grant of the following certificate	
		U'/'UA with UA marker'/ 'A' / 'S'	
	W	vith excisions or/and modifications	
		vithout excisions/ or and modification	
			[Delete whichever is not applicable]
II.		n the case of grant of 'S' certificate, please speci onstitute the specialised audience:-	
III.	R	ceasons for refusal of certificate or grant of 'UA w	
	 N	Note: 'U' unrestricted public exhibition	
	q to	UA with UA marker'- unrestricted public exhibit uestion as to whether in child below the age of so see the film should be considered by the parents A'- public exhibition restricted to adults.	even, thirteen or sixteen years may be allowed or the guardian of such child.
		S'- public exhibition restricted to members of any	
IV.	D	Details of excisions/modifications (Please see note	below)
Sl No		Clear and Specific description of excisions or modifications	Reasons with specific reference to the guidelines
V. VI.	A	Thematic classification (only in the case of feature any other remarks (including justification for pern ppear to be objectionable)	
VII.		certify that there would be no infraction of the gecommended above.	uidelines if the film is granted a certificate as
	ir	also certify that the film has been judged in its mpact; that the film has been examined in the ontemporary standards of the country and the peo oes not deprive the morality of the people.	light of the period depicted in the film and
		certify that while recommending the film for unyself that the film is suitable for family viewing,	

- **Notes: 1.** While recommending excisions the beginning and the end of the excision should be clearly described and the time period of the excision may be given as a percentage of the total scene.
 - 2. If certain portions are to be completely deleted whole reducing a scene or sequence these should be specified.

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 41

FORM-IX

[See rule 27]

I/We		
I/We further declare that the above declaration is correct in all respects.		
		Signature of applicant
Place:	Name:	
Date:	Address:	

THIRD SCHEDULE

[See rule 23(14)]

Based on the type and length of the content to be certified, an examining officer shall send the recommendations of all members of the Examining Committee under sub-rule (14) of rule 23 to the authority given below:

S. No.	Type and length of the Content	Authority for approving the Content
1.	Theatrical Long (more than 72 minutes)	Chairperson
2.	Theatrical Medium (10 to 72 minutes)	Chairperson
3.	Theatrical Short (less than 10 minutes) – Trailer/ Teaser/ Promo and other cinematic content	Chairperson
4.	Theatrical Short (less than 10 minutes) – Others	Regional Officer concerned
5.	Dubbed Theatrical Long	Regional Officer concerned
6.	Dubbed Theatrical Medium	Regional Officer concerned
7.	Dubbed Theatrical Short	Regional Officer concerned
8.	Video Long/ Medium	Chief Executive Officer
9.	Video Short – Trailer/ Teaser/ Promo and other cinematic content	Chairperson
10.	Video Short – Others	Regional Officer concerned
11.	Category Conversion Long	Chief Executive Officer
12.	Revised Film Category	Chief Executive Officer

Note: (1) The above table can be amended by the Board from time to time with the approval of the Central Government.

[F. No. M-11017/1/2024-DO(FC)] PRITHUL KUMAR, Jt. Secy.